



पहली
FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2014-2015

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई हैं)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर December, 2014

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2014-15.

वर्ष 2014-15 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 54 अनुदान मांगे हैं। ₹ 12529.48 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹ 500.71 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹ 12027.78 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या सेवा के नए उपकरण वाले मामलों में बचत के पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, 99 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. ₹ 500.71 करोड़ का निवल नकद प्रदान करने के प्रस्ताव से कुल अनुमानित व्यय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।

3. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2014-2015.

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2014-2015 includes 54 Grants. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 12,529.48 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 500.71 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 12,027.78 crore. Besides, token provision of ₹ 99 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. Proposal involving net cash outgo of ₹ 500.71 crore will not result in any significant variation in total estimated expenditure.

3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	आयोजना Grant No. & title and description of items	आयोजना-भिन्न Plan	जोड़ Non Plan	Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33. आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
चुनिन्दा पूंजी वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम को भुगतान करने के लिए।	For making payment to International Finance Corporation towards Selective Capital Increase	-	0.58	0.58
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुस्क्षण से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards maintenance of National Highways	-	500.00	500.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
105. लेखन सामग्री तथा मुद्रण	105 Stationery And Printing			
न्यायालय के आदेश के कारण मेसर्स श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में माध्यस्थ पंचाट से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Arbitration Award in favour of M/s. Shree Krishna Paper Mills and Industries Ltd. on account of a Court order.	-	0.13	0.13
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	-	500.71	500.71

4. अनुदान की पूरक मांगों के बैच में ₹ 12,027.78 करोड़ रुपये के लिए तकनीकी पूरक मांगों/विनियोगों से संबंधित ऐसे प्रस्ताव सम्मिलित हैं जिन्हें मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या तदनुरूप बचतों से पूरा किया जाता है। ये मदें निम्नलिखित हैं:

4. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹12,027.78 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
8. फार्मास्यूटिकल्स विभाग	8 Department of Pharmaceuticals			
हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को वेतन का भुगतान करने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए।	For providing loans to Hindustan Antibiotics Ltd. for payment of Salaries	-	9.67	9.67
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को अपनी विभिन्न परियोजनाओं के नवीकरण के लिए निवेश से संबंधित व्यय के लिए।	For expenditure towards investment in Hotel Corporation of India for renovation of its various projects	5.00	-	5.00
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
निर्यात अवसरचना को विकसित करने तथा अन्य संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता संबंधी योजना के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on scheme for Central Assistance to States for developing Export Infrastructure and other allied activities.	160.00	-	160.00
12. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹70 करोड़) और मेक इंडिया के लिए निवेश संवर्धन (₹ 52.20 करोड़) को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Indian Leather Development Programme (₹ 70 crore) and Investment Promotion towards Make in India Campaign (₹ 52.20 crore)	89.00	-	89.00
(ख) मेसर्स स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को निवेश सब्सिडी (पुरानी) से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Investment subsidy to M/s Swastik Fertilisers and Chemicals Private Limited.	0.25	-	0.25
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) डाक सेवाएं शीर्ष के अधीन अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) for meeting additional expenditure under the head Postal Services.	-	3.43	3.43
(ख) आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण तथा भूमि के अधिग्रहण के लिए संवर्धित क्षतिपूर्ति से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) for meeting additional expenditure towards cost of acquisition of land and enhanced compensation for land acquisition in Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.	2.26	-	2.26
14. दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) हिमाचल फ्यूचरिस्टिक लिमिटेड को के भुगतान के लिए, माध्यस्थ पंचाट के अनुसार।	(a) For payment to Himachal Futuristic Communications Ltd. as per arbitration award.	-	89.65	89.65

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि के भुगतान ।	(b) for payment of arrears of pay to employees of M/s Indian Telephone Industries Ltd.	-	165.00	165.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20. रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
कैंटीन स्टोर विभाग के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure of Canteen Store's Department.	-	3,000.00	3,000.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	28 Ministry of Development of North Eastern Region			
पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में इक्विटी निवेश प्रदान करने के लिए।	For providing equity investment in North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation Limited.	2.50	-	2.50
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER & SANITATION			
29. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	29 Ministry of Drinking Water & Sanitation			
देश के 82 आईएपी जिलों की 10,000 ग्रामीण बस्तियों में सौर ऊर्जा आधारित ड्यूअल पंप पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम के संस्थापन के लिए।	For installation of Solar Energy based Dual Pump Piped Water Supply Scheme in 10,000 rural habitations in 82 IAP Districts of the Country.	110.65	-	110.65
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
31. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	31 Ministry of Environment and Forests			
(क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत (i) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय की स्थापना से संबंधित व्यय (₹ 6 करोड़) और (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9 करोड़) को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting (i) establishment related expenditure (₹ 6 crore) of National River Conservation Directorate and (ii) Grants-in-aid General (₹ 9 crore) under National River Conservation Programme	15.00	-	15.00
(ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत पूंजी आस्तियों (69 करोड़) के सृजन हेतु अनुदानों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 69 crore) under National River Conservation Programme.	69.00	-	69.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33. आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
(क) किसान विकास पत्र को पुनः आरम्भ करने और "बालिका-सुकन्या समृद्धि योजना के आरम्भ पर प्रचार अभियान से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards publicity campaign on re-introduction of Kisan Vikas Patra and on introduction of 'Savings Scheme for Girl Child-Sukanya Samruddhi Yojana'.	-	4.90	4.90

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) (i) मूल्य अनुरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान (₹ 4118.80 करोड़) करने और (ii) अफ्रीकी विकास निधि को अंशदान (₹ 68.24 करोड़) करने के लिए।	(b) (i) For making payment (₹ 4118.80 crore) to International Monetary Fund towards Maintenance of Value and (ii) for making subscription to African Development Fund (₹ 68.24 crore)	-	4,187.04	4,187.04
(ग) नई उधार व्यवस्था के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण प्रदान करने के लिए।	(c) for providing loans to International Monetary Fund under New Arrangement to Borrow	-	2,057.08	2,057.08
34. वित्तीय सेवा विभाग	34 Department of Financial Services			
विश्व बैंक की सहायता के तहत ऋण (i) राष्ट्रीय आवास बैंक (₹ 85 करोड़) और (ii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को (₹ 60 करोड़)।	Loans to (i) National Housing Bank (₹ 85 crore) and (ii) Small Industries Development Bank (₹ 60 crore) of India under World Bank assistance	-	145.00	145.00
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51. भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry			
(क) (i) एचएमटी लिमिटेड का ब्याज माफ करने के लिए (₹ 38.58 करोड़); (ii) नेपा लिमिटेड के ब्याज और दांडिक ब्याज (₹ 355.20 करोड़) को माफ करने तथा सांविधिक देयों (₹ 13.38 करोड़) को माफ करने और (iii) हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की गारंटी शुल्क सब्सिडी (₹ 2.53 करोड़)।	(a) (i) For waiver of interest (₹ 38.58 crore) of HMT Ltd.; (ii) Waiver of interest and Penal Interest (₹ 355.20 crore) and Waiver of statutory dues (₹ 13.38 crore) of NEPA Ltd. And (iii) Guarantee Fee subsidy (₹ 2.53 crore) of Heavy Engineering Corporation Ltd.	-	409.69	409.69
(ख) ऋण, एचसीएल को (₹ 14.66 करोड़), एचएमटी लि. को (₹ 1.37 करोड़), टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 9.05 करोड़) तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (₹ 90 करोड़)।	(b) Loans to HCL (₹ 14.66 crore), HMT Ltd. (₹ 1.37 crore), Tyre Corporation of India Ltd. (₹ 9.05 crore) and Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd. (₹ 90 crore)	-	115.08	115.08
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	69 Ministry of New and Renewable Energy			
(क) (i) ग्रिड कनेक्टिड विद पावर प्रोजेक्ट (₹ 299 करोड़) के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के लिए ग्रिड इन्टरैक्टिव एन्ड डिस्ट्रीब्यूटिड रिन्यूएबल पावर-ग्रिड इन्टरैक्टिव रिन्यूएबल पावर-ग्रिड के तहत विद्युत सब्सिडी प्रदान करने और (ii) पेस सेंटर फंड भारत के बराबर अंशदान (₹ 24 करोड़) से संबंधित अंशदान को पूरा करने के लिए।	(a) For (i) providing Power Subsidy under Grid Interactive and Distributed Renewable Power-Grid interactive Renewable Power-Wind for generation based incentive for Grid connected Wind Power Projects (₹ 299 crore) and (ii) meeting expenditure towards India's matching contribution to the PACE Setter Fund (₹ 24 crore)	323.00	-	323.00
(ख) सरकारी क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश-इरडा।	(b) Investment in Public Sector and other undertakings - IRDA	200.00	-	200.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS			
70. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	70 Ministry of Overseas Indian Affairs			
प्रवासी भारतीय केन्द्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय भवन सन्निर्माण निगम को भुगतान करने के लिए।	For payment to National Building Construction Corporation for construction of Pravasi Bhartiya Kendra.	-	5.00	5.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
76. योजना मंत्रालय	76 Ministry of Planning			
नेशनल रेनफेड एरिया आथॉरिटी कार्यालय के लिए प्लान अथॉरिटी भवन में दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण के लिए।	For construction of two additional floors at Plan Authority Bhawan for the office of National Rainfed Area Authority	7.99	-	7.99
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77. विद्युत मंत्रालय	77 Ministry of Power			
विद्युत प्रणाली विकास निधि में जमा करने के लिए (₹199 करोड़) और विद्यमान पारेषण वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण संबंधी व्यय (₹199 करोड़) को पूरा करने के लिए।	For crediting (₹199 crore) to Power System Development Fund and meeting expenditure on strengthening of existing distribution of transmission infrastructure (₹199 crore)	398.00	-	398.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
90. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	90 Department of Social Justice and Empowerment			
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित युवाओं और नवांगुतक उद्यमियों के लिए क्रेडिट संवर्धन गारंटी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए।	For implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and Start-up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes	200.00	-	200.00
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
95. वस्त्र मंत्रालय	95 Ministry of Textiles			
भुगतान आयुक्त से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Commissioner of Payment	-	20.51	20.51
संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाले)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
98. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	98 Andaman and Nicobar Islands			
विद्युत उत्पादन हेतु एचएसडी खरीदने से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards purchase of HSD for power generation	-	85.95	85.95
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
103. शहरी विकास मंत्रालय	103 Department of Urban Development			
(क) आवास के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Housing	-	2.37	2.37

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र शहरी विकास परियोजना संबंधी स्कीम के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure of the scheme towards North Eastern Region Urban Development Project	41.50	-	41.50
104. लोक निर्माण कार्य	104 Public Works			
लोग निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under Public Works	-	90.00	90.00
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
106. जल संसाधन मंत्रालय	106 Ministry of Water Resources			
नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्यों संबंधी योजना के तहत पुडुच्चेरी की संघ राज्य क्षेत्र सरकार को सहायता अनुदान।	Grants-in-aid to Union Territory Government of Puducherry under the scheme River Management Activities and Works related to Border Areas.	13.26	-	13.26
कुल तकनीकी	Total Technical	1,637.41	10,390.37	12,027.78
5. नीचे सूचीबद्ध की गई मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए का पूरक अनुदान लेने का प्रस्ताव है, जिनके लिए व्यय दर्शाया गया है, को उपयुक्त अनुदान के राजस्व या पूंजी भाग में बचतों के पुनर्विनियोजन से पूरा किया जाएगा।	5. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
1 कृषि और सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation			
"कृषि विस्तार उप मिशन" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत (क) सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 43 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards (a) Grants-in-aid (₹ 2 crore), and office expenses (₹ 43 crore) under the centrally sponsored scheme of 'Sub-Mission on Agriculture Extension'.	45.00	-	45.00
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) उत्कृष्टता संस्थान स्कीम झारखण्ड के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने हेतु।	(a) For providing Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Institution of Excellence, Jharkhand.	0.01	-	0.01
(ख) उत्कृष्टता संस्थान स्कीम, असम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Institution of Excellence, Assam.	0.01	-	0.01
3 पशु पालन, डेरी और मत्स्यिकी	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) व्यावसायिक क्षमता विकास के लिए (i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (₹ 34.35 करोड़) और (ii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (₹ 0.30 करोड़) स्कीमों के	For meeting additional expenditure under the schemes of (i) National Livestock Mission (₹ 34.35 crore), and (ii) Veterinary			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु ।	Council of India (₹ 0.30 crore) for Professional Efficiency Development.	34.65	-	34.65
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु ।	For meeting additional expenditure of Bhabha Atomic Research Centre.	300.00	-	300.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7 उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
देशज यूरिया के अंतर्गत व्यय पूरा करने हेतु ।	For meeting expenditure under Indigenous Urea	-	5,000.00	5,000.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की सब्सिडी	Subsidy to Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi	-	13.60	13.60
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (₹ 35 करोड़) और परिवहन सब्सिडी स्कीम (₹ 24.50 करोड़) के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु ।	For meeting additional expenditure for settlement of claims under North East Industrial and Investment Promotion Policy (₹ 35 crore) and Transport Subsidy Scheme (₹ 24.50 crore)	59.50	-	59.50
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
डाक जीवन बीमा के निवेश प्रभाग के कम्प्यूटरीकरण पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु ।	For meeting expenditure on computerisation of Investment Division of Postal Life Insurance.	0.20	-	0.20
15 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	15 Department of Electronics and Information Technology			
इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु ।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under Electronic Governance.	73.15	-	73.15
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 Department of Consumer Affairs			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली को सहायता अनुदान	(a) towards providing Grants-in-aid General to National System for			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सामान्य प्रदान करने के लिए।	standardisation for the benefit of North Eastern Region.	0.30	-	0.30
(ख) राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली को सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने हेतु।	(b) towards providing Grants-in-aid General to National System for standardisation.	2.73	-	2.73
17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
(क) वस्तु बाजार के लिए विनियामक ढांचा हेतु सुधार आयोजना शुरू करने के लिए भण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण का व्यय पूरा करने हेतु	(a) For meeting expenditure on Warehousing Development and Regulatory Authority to undertake transformation plan for strengthening of regulatory framework for commodity market.	6.90	-	6.90
(ख) "चीन मिलों के पुनर्वास/आधुनिकीकरण" स्कीम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को अतिरिक्त ऋण प्रदान करने हेतु।	(b) for providing additional loans to Public Sector and other undertakings under the scheme "Rehabilitation/ Modernization of Sugar Mills".	-	50.00	50.00
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) सचिवालय-सामाजिक सेवा स्कीम के सहायता अनुदान सामान्य के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General of the scheme Secretariat-Social Services	-	0.01	0.01
(ख) (1) केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन, वराणसी (₹ 1 करोड़) को सहायता अनुदान वेतन (2) पूंजी आस्ति के सृजन के लिए (₹ 6.15 करोड़) नव नालन्दा महावीर को अनुदान (3) संग्रहालय संबंधी शंकाओं के लिए संग्रहालय संग्रहण और अकादमी सुविधाओं के लिए (₹ 2 करोड़) सहायता अनुदान सामान्य (4) राष्ट्रीय नाट्य स्कूल को अनुदान (₹ 6 करोड़) हेतु।	(b) For (1) Grants-in-aid Salaries to Central University of Tibetan Studies, Varanasi (₹ 1 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6.15 crore) to Nava Nalanda Mahavira (3) Grants-in-aid General (₹ 2 crore) for Digitization of Museums collections and academic facilities for museum related disciplines, (4) Grants to National School of Drama (₹ 6 crore).	15.15	-	15.15
(ग) (i) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (₹ 5.25 करोड़) (ii) केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय (₹ 0.85 करोड़), (iii) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (5.20 करोड़) (iv) सफदरजंग संग्रहालय, हैदराबाद (₹ 1 करोड़), (v) केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन, दहंग (₹ 0.43 करोड़) (vi) विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकाता (₹ 0.90 करोड़), (vii) गांधी स्मृति और दर्शन समिति (₹ 0.48 करोड़) (viii) राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन (₹ 0.51 करोड़), (ix) कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता (₹ 0.35 करोड़) (x) एसियाटिक	(c) For providing additional Grants-in-aid General (i) National Archives of India (₹ 5.25 crore); (ii) Central University of Tibetan Studies (₹ 0.85 crore); (iii) Delhi Public Library (₹ 5.20 crore); (iv) Safdurjang Museum, Hyderabad (₹ 1 crore); (v) Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahung (₹ 0.43 crore); (vi) Victoria Memorial Hall, Kolkata (₹ 0.90 crore); (vii) Gandhi Samriti and Darshan Samiti (₹ 0.48 crore); (viii) Raja Ram Mohun Roy Library Foundation (₹ 0.51 crore);			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
सोसायटी कोलकाता (₹ 1.50 करोड़), (xi) इलाहाबाद संग्रहालय (0.27 करोड़) और (xii) सहायता अनुदान वेतन (₹ 13.95 करोड़) के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने के लिए। (क) केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वराणसी (ख) विक्टोरिया हाल कोलकाता (ग) राष्ट्रीय विज्ञान परिषद संग्रहालय, कोलकाता (घ) गांधी स्मृति और दर्शन समिति और (ङ) नेहरू स्मारक संग्रहालय और लाइब्रेरी हेतु।	(ix) Financial Assistance for Promotion of Art and Culture (₹ 0.35 crore); (x) Asiatic Society, Kolkata (₹ 1.50 crore); (xi) Allahabad Museum (₹ 0.27 crore) and (xii) Grants-in-aid Salaries (₹ 13.95 crore) for (a) Central University of Tibetan Studies, Varanasi, (b) Victoria Memorial Hall, Kolkata (c) National Council of Science Museum, Kolkata, (d) Gandhi Samriti and Darshan Samiti and (e) Nehru Memorial Museum & Library	-	30.69	30.69
(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए सहायता अनुदान सामान्य	(d) Grants-in-aid General for Archaeological Survey of India	-	1.10	1.10
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
28 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	28 Ministry of Development of North Eastern Region			
(क) पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure under North Eastern Rural Livelihood Project	60.00	-	60.00
(ख) पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत (₹ 80 करोड़) और कारबी एंगलॉग स्वापत्तशासी टेरीटोरियल काउंसिल (₹ 15 करोड़) हेतु विशेष पैकेज के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure under North Eastern States Road Investment Programme (₹ 80 crore) and special package for Karbi Anglong Autonomous Territorial Council (₹ 15 crore)	95.00	-	95.00
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
31 पर्यावरण और वन मंत्रालय	31 Ministry of Environment and Forests			
पशु कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान वेतन के लिए व्यय पूरा करने हेतु	For meeting expenditure towards Grants in-aid Salaries to Animal Welfare Board	-	0.18	0.18
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
32 विदेश मंत्रालय	32 Ministry of External Affairs			
बंगला देश, चीन भारत म्यांमार कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards Other Administrative Expenses under Bangladesh China India Myanmar (BCIM) Programme.	-	0.50	0.50
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
(क) वायदा बाजार आयोग में पूंजी आस्ति के सृजन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards creation of Capital Assets in Forward Market Commission	0.80	-	0.80

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहाता के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के हेतु ।	(b) For meeting additional expenditure towards Interest equalisation support to Exim Bank of India	-	450.00	450.00
(ग) बजट प्रेस के लिए प्रिंटिंग मशीन खरीदने के लिए	(c) Purchase of printing machines for Budget Press.	-	3.90	3.90
34 वित्तीय सेवा विभाग	34 Department of Financial Services			
(क) प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत व्यय पूरा करने हेतु ।	(a) For meeting expenditure under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana	-	100.00	100.00
(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को ऋण	(b) Loans to National Bank for Agriculture and Rural Development	-	673.29	673.29
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
46. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	46 Ministry of Food Processing Industries			
गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, मानक, अनुसंधान और विकास तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु ।	For meeting additional expenditure under the scheme for quality assurance, codex, standards, R&D and other promotional activities.	5.00	-	5.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	47 Department of Health and Family Welfare			
(क) सहायता अनुदान सामान्य (₹ 172.91 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, (₹ 439.31 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 117.73 करोड़) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए व्यय पूरा करने हेतु ।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 172.91), Grants for creation of Capital Assets (₹ 439.31) and Grants-in-aid Salaries (₹ 117.73) to various Institutes/ Programmes/Schemes under Medical and Public Health	729.95	-	729.95
(ख) सहायता अनुदान सामान्य (₹ 116.12 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 267.99 करोड़) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों/ कार्यक्रमों/स्कीमों का व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 116.12) and Grants-in-aid Salaries (₹ 267.99) to various Institutes/Programmes/ Schemes under Medical and Public Health	-	384.11	384.11
(ग) सहायता अनुदान सामान्य (₹ 51.50 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.16 करोड़) परिवार कल्याण के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों का व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 51.50) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 1.16) to various Institutes/ Programmes/Schemes under Family Welfare	52.66	-	52.66
(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के लिए सहायता अनुदान सामान्य हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for the National Institute of Health and Family Welfare	-	0.25	0.25

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ड) विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों को सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹435.69 करोड़) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (₹205.73 करोड़) और पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं मेडिकल विज्ञान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹2 करोड़)।	(e) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 435.69), Grants for creation of Capital Assets (₹ 205.73) to various Institutes/ Programmes/Schemes and Grants-in-aid Salaries (₹ 2 crore) to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences.	643.42	-	643.42
(च) विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों को सामान्य सहायता अनुदान (₹271.86 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹24.09 करोड़) प्रदान करना।	(f) For providing Grants-in-aid General (₹ 271.86) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 24.09) to various Institutes/Programmes/Schemes	295.95	-	295.95
(छ) संघ शासित राज्य सरकारों के तहत विभिन्न संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹6.71 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.21 करोड़) प्रदान करना।	(g) For providing Grants-in-aid General (₹ 6.71 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.21 crore) to various Institutes/Programmes Schemes under UT Governments	6.92	-	6.92
(ज) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के तहत पूंजीगत कम करने हेतु।	(h) For incurring capital expenditure under Medical and Public Health	377.72	-	377.72
(झ) केंद्रीय कोढ़ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के लिए प्रमुख निर्माण कार्यों संबंधी व्यय पूरा करना।	(i) For meeting expenditure on Major Works for Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	0.10	-	0.10
49 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	49 Department of Health Research			
(क) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य स्कीम के तहत (₹203.35 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹40 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹2 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 203.35) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 40 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 2 crore) under the schemes Medical and Public Health	245.35	-	245.35
(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के संबंध में सामान्य अनुदान (₹52.23 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹18.10 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 52.23 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 18.10 crore) in respect of Indian Council of Medical Research	-	70.33	70.33
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं/स्कीमों के तहत प्रावधानों में बढोत्तरी के लिए।	(c) For augmentation of provisions under projects/schemes under North Eastern Areas	8.00	-	8.00
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51 भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry			
(क) कचार पेपर मिल, हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमि. की ईकाई को परिवहन सब्सिडी प्रदान करने के लिए।	(a) For providing transport subsidy to Cachar Paper Mills, a unit of Hindustan Paper Corporation Limited.	70.86	-	70.86
(ख) एनईपीए लिमि. के संबंध में ऋण को इक्विटी में अंतरण हेतु।	(b) For conversion of Loan into Equity in respect of NEPA Limited.	-	231.01	231.01

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) एचएमटी लिमि. को गैर-आयोजना ऋण प्रदान करने हेतु।	(c) For providing Non Plan loan to HMT Limited	-	90.80	90.80
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
54 मंत्रिमंडल	54 Cabinet			
(क) पूर्व-राज्यपालों के सचिवालयी व्यय की प्रतिपूर्ति का व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards reimbursement of Secretariat expenditure of ex-Governors	-	0.88	0.88
55 पुलिस	55 Police			
(क) विधानमंडल रहित संघ शासित राज्य क्षेत्रों में अग्नि और आपात सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards modernisation of fire and emergency services in the Union Territories without Legislature	10.00	-	10.00
(ख) सीमा पर बाड़ के अनुरक्षण का व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards maintenance of Border Fencing	-	20.00	20.00
(ग) वनरोपण आदि और परामर्श शुल्क के भुगतान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting expenditure towards payment of compensation for afforestation and payment of consultancy fees etc.	23.51	-	23.51
	(d) For meeting expenditure towards research	-	270.00	270.00
हाऊसिंग और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
58 हाऊसिंग और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
(क) एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता स्कीम के अन्य प्रशासन व्यय पूरा करने हेतु व्यय।	(a) For meeting expenditure towards other administrative expenses of the scheme Integrated Low Cost Sanitation	0.26	-	0.26
(ख) राजीव ऋण योजना स्कीम (₹2 करोड़) और सभी को आवास हेतु नया मिशन (₹0.01 करोड़) के अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards other administrative expenses of the scheme Rajiv Rinn Yojana (₹ 2 crore) and New Mission for Housing for All (₹ 0.01 crore)	2.01	-	2.01
(ग) राजीव आवास योजना स्कीम के तहत विज्ञापन व प्रचार के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards advertising and publicity under the scheme Rajiv Awas Yojana	10.00	-	10.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	59 Department of School Education and Literacy			
(क) 4000 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती हेतु वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-Aid Salaries for recruitment of 4000 additional teachers	261.00	-	261.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-Aid to State Governments for setting up of 6000 model schools at Block level	430.00	-	430.00
60 उच्चतर शिक्षा विभाग	60 Department of Higher Education			
(क) (i) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आन्ध्र प्रदेश (₹0.50 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान, और (ii) राष्ट्रीय डिजाइन नवप्रवर्तन पहल (₹27 करोड़) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आन्ध्र प्रदेश (₹0.50 करोड़) के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	(a) For (i) Grants-in-aid General to Indian Institute of Information Technology, Andhra Pradesh (₹ 0.50 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets in respect of National Initiative for Design Innovation (₹ 27 crore) and Indian Institute of Information Technology, Andhra Pradesh (₹ 0.50 crore)	28.00	-	28.00
(ख) भारतीय प्रबंधन संस्थान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Indian Institutes of Management	-	1.20	1.20
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभार्थ पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(c) For meeting expenditure as Grants for creation of capital assets for the benefit of North Eastern Areas.	130.00	-	130.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
62 श्रम और रोजगार मंत्रालय	62 Ministry of Labour and Employment			
(क) "स्कीम कौशल विकास" मिशन के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करना।	(a) For meeting expenditure under the Scheme of Skill Development Mission towards Grants-in-aid General .	1.00	-	1.00
(ख) (i) मिशन स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान (₹71.34 करोड़) और (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹40 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in- aid General to State Governments (Rs 71.34 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (Rs 40 crore) under the scheme Skill Development Mission.	111.34	-	111.34
(ग) कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid General to Union Territory Governments under the Scheme Skill Development Mission	1.50	-	1.50
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (₹2.74 करोड़) और कॉयर बोर्ड (₹11.38 करोड़) को वेतन के लिए अनुमोदन।	Grants to Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (₹ 2.74 crore) and Coir Board (₹ 11.38 crore) towards salaries.	-	14.12	14.12

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	68 Ministry of Minority Affairs			
(क) (i) निःशुल्क कोचिंग स्कीम और संबद्ध स्कीम (₹20 करोड़) के तहत और (ii) मैरिट-सह-मिन्स छात्रवृत्ति और नई छात्रवृत्तियां (₹15 करोड़) के नवीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (i) under the scheme of Free Coaching and Allied Scheme (₹ 20 crore) and (ii) Renewal of Merit-cum-Means scholarships and new scholarships (₹ 15 crore)	35.00	-	35.00
(ख) अल्पसंख्यकों हेतु कौशल विकास स्कीम (₹42.70 करोड़) और हमारी धरोहर हेतु व्यय (₹9 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure under the schemes of Skill Development Initiatives for Minorities (₹ 42.70) and meeting expenditure (₹ 9 crore) for Hamari Dharohar	51.70	-	51.70
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के तहत परियोजनाओं/स्कीमों के प्रावधानों में बढ़ोतरी हेतु।	(c) For augmentation of provisions of projects/schemes under North Eastern Areas	5.80	-	5.80
(घ) राज्य सरकारों को सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid to State Governments	30.00	-	30.00
कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।	For providing grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) to Indian Institute of Public Administration	5.00	-	5.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
आन्ध्र प्रदेश में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए।	For Setting up Petroleum University in Andhra Pradesh.	1.00	-	1.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77 विद्युत मंत्रालय	77 Ministry of Power			
तकनीकी नियंत्रण और निगरानी स्कीम के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को वेतन हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on salaries to Central Electricity Authority under the Scheme Technical Control Planning and Monitoring	-	4.00	4.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु राज्य और राष्ट्रीय रजिस्टर का सृजन।	For creation of State and National Register of Driving license and Registration Certificate of Motor Vehicle	7.68	-	7.68

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
88 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	88 Department of Biotechnology			
निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) अनुसंधान और विकास-हेतु सहायता के लिए कृषि जैवप्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्र हेतु सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹14 करोड़)। (ii) अनुसंधान और विकास-आधारभूत अनुसंधान और उभरते क्षेत्र के लिए सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹7 करोड़) और (iii) जैव प्रौद्योगिकी सुविधाओं सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards (i) Grant-in -aid General (₹14 crore)for assistance for Research & Development - Agricultural Biotechnology and Allied Areas; (ii) Grants-in-aid General (₹ 7 crore) for assistance for Research and Development - Basic Reasearch and Emerging Areas and (iii) Grants-in-aid General (₹ 4 crore) for Biotech facilities.	25.00	-	25.00
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
89 पोत परिवहन मंत्रालय	89 Ministry of Shipping			
(क) पेशेवर सेवाओं के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure under professional services for appointment of Arbitrator	-	3.00	3.00
(ख) तटीय संरक्षण कार्य के लिए चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट में अतिरिक्त व्यय के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Coastal Protection Work in Chennai Port Trust.	15.00	-	15.00
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
92 अंतरिक्ष विभाग	92 Department of Space			
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान हेतु सभी कंडक्टर लैबोरेटरी (₹6.67 करोड़) तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.71 करोड़) तथा (ii) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नालाजी - सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure for (i) Semi-conductor laboratory towards Grants-in-aid General (₹ 6.67 crore) and grants for creation of Capital Assets (₹ 2.71 crore) and (ii) Indian Institute of Space Science & Technology as Grants-in-aid General (₹ 1 crore).	10.38	-	10.38
(ख) अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान (i) सेमी कंडक्टर लैबोरेटरी (₹1.13 करोड़); (ii) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नालाजी (₹1.50 करोड़); (iii) नार्थ ईस्टर्न स्पेश अफ्लीकेशन सेंटर (₹1 करोड़) तथा (iv) नेशनल एटमास्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी (₹1.40 करोड़)।	(b) For providing additional Grants-in-aid Salary to (i) Semi-conductor laboratory (₹ 1.13 crore); (ii) Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 1.50 crore); (iii) North Eastern Space Application Centre (₹ 1 crore) and (iv) National Atmospheric Research Laboratory (₹ 1.40 crore)	-	5.03	5.03
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
95 कपड़ा मंत्रालय	95 Ministry of Textiles			
(क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹8 करोड़), पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹12 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.50 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹2.50 करोड़) तथा विज्ञापन एवं प्रचार (₹0.50 करोड़) - व्यापार सुविधा बांड तथा क्राफ्ट म्यूजियम हेतु; (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹3.33 करोड़) तथा कैटलाइटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम	(a) (i) Grants-in-aid General (₹ 8 crore), grants for creation of Capital Assists (₹ 12 crore), other administrative expenses (₹ 0.50 crore), professional services (₹ 2.50 crore) and Advertisement and Publicity (₹ 0.50 crore) for Trade Facilitation Centre and Craft Museum towards; (ii) Grants-in-			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.20 करोड़)।	aid General (₹ 3.33 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 2.20 crore) for Catalytic Development Programme	29.03	-	29.03
(ख) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नालाजी भदोही को अनुदान - वेतन हेतु।	(b) Grants to Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi towards salaries	-	3.50	3.50
(ग) राज्य सरकारों को सहायता अनुदान - हैंडलूम क्लाथ के लिए विशेष छूट।	(c) Grants-in-aid to State Governments towards special rebate for Handloom Cloth.	-	9.52	9.52
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
98 अंडमान एवं निकोबार (द्वीपसमूह)	98 Andaman and Nicobar Islands			
(क) नए शुरु किए गए कालेज (एएनसीओएल) के व्यय का पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure for newly started college (ANCOL)	0.25	-	0.25
(ख) माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइज के लिए क्रेडिट गारण्टी फंड स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises	5.00	-	5.00
102 लक्षद्वीप	102 Lakshadweep			
(क) पीआरआई के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure for the employees of Department of Education working under PRIs	-	4.80	4.80
(ख) पीआरआई के अन्तर्गत कार्यरत कला एवं संस्कृति के कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure for the employees of Department of Art and Culture working under PRIs	-	0.46	0.46
(ग) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट्स को चलाने तथा अनुसंधान और पीआरआई के अन्तर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारियों को भत्ता हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure for running and maintenance of Type Writing institutes and pay and allowances of employees of Department of Employment of Training working under PRIs	-	0.21	0.21
(घ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतन तथा भत्ता के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure towards pay and allowances for the employees functioning under Department of Women and Child Development	-	0.65	0.65
(ङ) पीआरआई के अन्तर्गत पंचायत विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतन तथा भत्ता के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(e) For meeting additional expenditure towards pay and allowances for the employees of Department of Panchayat working under PRIs	-	1.25	1.25
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
103 शहरी विकास विभाग	103 Department of Urban Development			
(क) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure under Swachh Bharat Mission	130.25	-	130.25
(ख) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अंतरण।	(b) Swachh Bharat Mission under Transfer to State Governments	1970.00	-	1970.00
(ग) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण।	(c) Swachh Bharat Mission under Transfer to UT Governments	100.00	-	100.00
(घ) संघ परीक्षा (₹15 करोड़) और वित्त राजस्व (₹25 करोड़) के संबंध में रिहायशी आवास	(d) For meeting additional expenditure for construction of residential			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	accommodation in respect of Audit (₹ 15 crore) and Finance (Revenue) (₹ 25 crore)	-	40.00	40.00
(ड) इक्विटी प्रदान करना : (i) बंगलूर मेट्रो (₹424 करोड़), (ii) कोच्चि मेट्रो (₹78.82 करोड़) तथा (iii) नागपुर मेट्रो (₹10 करोड़)।	(e) Providing equity to (i) Bangalore Metro (₹ 424 crore), (ii) Kochi Metro (₹ 78.82 crore) and (iii) Nagpur Metro (₹ 10 crore)	512.82	-	512.82
104 लोक निर्माण कार्य	104 Public Works			
लोक परीक्षा (₹12 करोड़), वित्त (राजस्व) (₹40 करोड़) तथा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन (₹8 करोड़) के संबंध में कार्यालय बिल्डिंग निर्माण के व्यय को पूरा करना।	For meeting expenditure towards construction of office buildings in respect of Audit (₹ 12 crore), Finance (Revenue) (₹ 40 crore) and Personnel Public Grievances and Pensions (₹ 8 crore)	-	60.00	60.00
जलसंसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
106 जलसंसाधन मंत्रालय	106 Ministry of Water Resources			
(क) पूंजीगत अस्तित्यों के सृजन (₹168 करोड़) तथा नेशनल गंगा रिवरबेसिन अथोरिटी के ईएपी घटक के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) के व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting expenditure for creation of Capital Assets (₹ 168 crore) and Grants-in-aid General (₹ 5 crore) under EAP component of National Ganga River Basin Authority.	173.00	-	173.00
(ख) नेशनल शिवर कंजरवेशन प्लान के अन्तर्गत नेशनल गंगा रिवरबेसिन अथोरिटी तथा नोन-प्लान ईएपी घटक (₹ 17 करोड़) के अन्तर्गत पूंजीगत अस्तित्यों के सृजन हेतु (₹ 110 करोड़) के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान उपलब्ध करना हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid to State Governments towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 110 crore) under EAP component of National Ganga River Basin Authority and Non-EAP component (₹ 17 crore) under National River Conservation Plan.	127.00	-	127.00
(ग) नेशनल रिवर कंजरवेशन प्लान के ईएपी घटक के अन्तर्गत पूंजीगत पीसंपत्तियों (₹ 72 करोड़) तथा सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़) के अनुदान व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 72 crore) and Grants-in-aid General (₹ 8 crore) under EAP component of National River Conservation Plan.	80.00	-	80.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
107 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	107 Ministry of Women and Child Development			
(क) (i) नेशनल कमीशन फार वूमेन की पूंजीगत आस्तियों के सृजन (₹9.08 करोड़); (ii) जेडर बजटिंग के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (₹0.22 करोड़) के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराना तथा (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व्यय को पूरा करना (₹13.50 करोड़)।	(a) For (i) providing Grant for Creation of Capital Assets to National Commission for Women (₹ 9.08 crore) ; (ii) training programme under Gender Budgeting (₹ 0.22 crore) and (iii) meeting expenditure Beti Bachao Beti Padhao (₹ 13.50 crore)	22.80	-	22.80
(ख) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अनुदान (₹4.60 करोड़) तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान (₹3.25 करोड़)।	(b) Grants to National Institute of Public Cooperation and Child Development (₹ 4.60 crore) and Grants to Central Social Welfare Board (₹ 3.25 crore)	-	7.85	7.85
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजनाओं/स्कीमों के प्रावधान संवर्द्धन हेतु।	(c) For augmentation of provisions of projects/schemes under North Eastern Areas	1.58	-	1.58

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
यूवा मामलें और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
108 यूवा मामलें और खेल मंत्रालय	108 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) राजीवगांधी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट (₹ 1.70 करोड़) (ii) जबाहर इंस्टीट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एण्ड हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट (₹ 5.23 करोड़); (iii) नेहरु युवा संगठन को अनुदान (₹ 17.55 करोड़) (iv) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल एजुकेशन, ग्यालियर को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़) (v) नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) (vi) विशेष नकद पुरस्कार स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) (vii) नेशनल एंटीडोपिंग एजेंसी को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) तथा (viii) स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 1.70 crore) to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development; (ii) contribution to Jawahar Institute of Mountaineering & Himalayan Mountaineering Institute (₹ 5.23 crore); (iii) Grants (₹ 17.55 crore) to Nehru Yuva Kendra Sangathan; (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10 crore) to Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior; (v) Grants-in-aid General (₹ 10 crore) towards Assistance to National Sports Federations; (vi) Grants-in-aid General (₹ 10 crore) under the scheme of Special Cash Awards; (vii) Grants-in-aid General (₹ 3 crore) to National Anti Doping Agency and (viii) Grants-in-aid General (₹ 25 crore) for setting up of Junior Sports Academies	82.48	-	82.48
(ख) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट के लिए अनुदान	(b) Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development	-	6.43	6.43
(ग) (i) नेशनल प्रोग्राम फार यूथ एण्ड एडालेसेंट डेवलपमेंट स्कीम (₹ 5 करोड़); (ii) नेशनल सर्विस स्कीम (₹ 2.50 करोड़); (iii) नेहरु युवा संगठन (₹ 1.95 करोड़) तथा (iv) लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट और फिजिकल एजुकेशन को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development (₹ 5 crore); (ii) National Service Scheme (₹ 2.50 crore); (iii) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 1.95 crore) and (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 20 crore) to Lakshmi Bai National Institute of Physical Education	29.45	-	29.45
(घ) नेशनल सर्विस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under National Service Scheme	27.80	-	27.80
कुल सांकेतिक	Total Token	0.63	0.36	0.99
कुल योग	GRAND TOTAL	1,638.04	10,891.44	12,529.48
निवल नकद प्रवाह	Net Cash Outgo	-	500.71	500.71
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	1,637.41	10,390.37	12,027.78
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.63	0.36	0.99

विषय सूची CONTENTS

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE						
1	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	0.01	...	0.01	1
2.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.02	...	0.02	2
3.	पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.01	...	0.01	3
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY						
4	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	...	0.01	0.01	4
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS						
7	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	0.01	...	0.01	5
8	फार्मास्युटिकल विभाग	स्वीकृत	8. Department of Pharmaceuticals	Voted	...	9.67	9.67	6
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION						
9	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	5.00	5.01	7
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY						
11	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	...	160.00	160.00	8
12	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	भारित स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Charged Voted	0.25 89.01	... 89.01	0.25 89.01	9
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY						
13	डाक विभाग	भारित स्वीकृत	13. Department of Posts	Charged Voted	3.43 ...	2.26 0.01	5.69 0.01	10-11
14	दूरसंचार विभाग	भारित	14. Department of Telecommunications	Charged	254.65	...	254.65	12
15	आणविक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	15. Department of Electronics and Information Technology	Voted	0.01	...	0.01	13
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION						
16	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	16. Department of Consumer Affairs	Voted	0.02	...	0.02	14
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	17. Department of Food and Public Distribution	Voted	0.01	0.01	0.02	15
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE						
19.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	0.04	...	0.04	16-18

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
20.	रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	20. Ministry of Defence	Voted	3000.00	...	3000.00 19
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.02	2.50	2.52 20
पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय		MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION					
29	पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of Drinking Water and Sanitation	Voted	110.65	...	110.65 21
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
31	पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	31. Ministry of Environment and Forests	Voted	84.01	...	84.01 22
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
32	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	32. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	...	0.01 23
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
33	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	33. Department of Economic Affairs	Voted	4.92	6244.71	6249.63 24-25
34	वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत	34. Department of Financial Services	Voted	0.01	145.01	145.02 26-27
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
46.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	46. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01 28
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
47	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	47. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.07	0.02	0.09 29-34
49	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग		49. Department of Health Research	Voted	0.03	...	0.03 35-36
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
51	भारी उद्योग विभाग	भारित स्वीकृत	51. Department of Heavy Industry	Charged Voted	... 409.70	25.08 90.02	25.08 499.72 37-38
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
54	मंत्रीमंडल	स्वीकृत	54. Cabinet	Voted	0.01	...	0.01 39
55	पुलिस	स्वीकृत	55. Police	Voted	0.02	0.02	0.04 40
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
58.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	स्वीकृत	58. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.03	...	0.03 41
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
59	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	59. Department of School Education and Literacy	Voted	0.02	...	0.02 42

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
60 उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	60. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	0.03	43
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
62. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	62. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.03	...	0.03	44-45
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
66 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.01	...	0.01	46
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
68 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.04	...	0.04	47-48
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY					
69. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	323.00	200.00	523.00	49-50
अप्रवासी भारतीय मंत्रालय		MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS					
70 अप्रवासी भारतीय मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Overseas Indian Affairs	Voted	...	5.00	5.00	51
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
73 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.01	...	0.01	52
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
75 पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	0.01	...	0.01	53
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
76. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	76. Ministry of Planning	Voted	...	7.99	7.99	54
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
77 विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	77. Ministry of Power	Voted	398.01	...	398.01	55
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	83. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	500.01	...	500.01	56
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
88. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	88. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	0.01	57
नौवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
89. नौवहन मंत्रालय	स्वीकृत	89. Ministry of Shipping	Voted	0.01	0.01	0.02	58

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page		
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT						
90 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	90. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	...	200.00	200.00	59	
स्वीकृत							
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE						
92. अंतरिक्ष विभाग	92. Department of Space	Voted	0.02	...	0.02	60	
स्वीकृत							
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES						
95 वस्त्र मंत्रालय	95. Ministry of Textiles	Charged	20.51	...	20.51	61-62	
स्वीकृत		Voted	0.03	...	0.03		
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE						
98 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	98. Andaman and Nicobar Islands	Voted	85.96	0.01	85.97	63	
स्वीकृत							
102 लक्षद्वीप	102. Lakshadweep	Voted	0.05	...	0.05	64-65	
स्वीकृत							
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT						
103 शहरी विकास विभाग	103. Department of Urban Development	Charged	2.37	41.50	43.87	66-67	
भारित		Voted	0.03	0.02	0.05		
स्वीकृत							
104 लोक निर्माण कार्य	104. Public Works	Voted	90.00	0.01	90.01	68	
स्वीकृत							
105 लेखन एवं मुद्रण	105. Stationery And Printing	Charged	0.13	...	0.13	69	
स्वीकृत							
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES						
106 जल संसाधन मंत्रालय	106. Ministry of Water Resources	Charged	13.26	...	13.26	70-71	
स्वीकृत		Voted	0.03	...	0.03		
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT						
107 महिला और बाल विकास मंत्रालय	107. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.03	...	0.03	72-73	
स्वीकृत							
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS						
108 युवा मामले और खेल मंत्रालय	108. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.04	...	0.04	74-75	
स्वीकृत							
कुल जोड़	GRAND TOTAL		5390.62	7138.86	12529.48		
भारित		Charged	294.60	68.84	363.44		
स्वीकृत		Voted	5096.02	7070.02	12166.04		
अनुबंध	ANNEXURE					76-87	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	22603.06	49.19	22652.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	22603.07	49.19	22652.26
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- कृषि विस्तार उप-मिशन (केंद्रीय प्रायोजित स्कीम) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़) प्रदान करना।
- कृषि विस्तार (केन्द्र प्रयोजित स्कीम) उप मिशन के तहत आई टी संबंधी घटकों, जैसे पीआईसीओ प्रोजेक्टर, हाथ से पकड़ने वाले उपकरणों के लिए कार्यालय व्यय के तहत जरूरत को पूरा करने के लिए (₹ 43.00 करोड़) अनुदान।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- providing Grants-in-aid-General (₹ 2.00 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension (Centrally Sponsored Scheme).
- meeting requirement (₹ 43.00 crore) under Office Expenses for IT related components, viz. PICO Projector, Hand Held Devices under Sub-Mission on Agriculture Extension (Centrally Sponsored Scheme).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	6144.39	...	6144.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6144.41	...	6144.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत: 2415 -Agricultural Research and Education	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) "उत्कृष्ट संस्थान, झारखंड" स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) "उत्कृष्ट संस्थान, असम" स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) to Indian Council of Agricultural Research under the scheme, "Institution of Excellence, Jharkhand".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) to Indian Council of Agricultural Research under the scheme, "Institution of Excellence, Assam".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2726.13	20.18	2746.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2726.14	20.18	2746.32
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403 - पशु पालन	स्वीकृत: 2403 -Animal Husbandry	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन की अतिरिक्त मांग (₹ 34.35 करोड़) पूरी करना।।
- (ii) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद की पेशेवर दक्षता विकास की अतिरिक्त मांग (₹ 0.30 करोड़) पूरी करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) meeting additional demand (₹ 34.35 crore) of National Livestock Mission.
- (ii) meeting additional demand (₹ 0.30 crore) of Veterinary Council of India for Professional Efficiency Development.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 4

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	1.00	11.00
	स्वीकृत:	Voted:	6829.02	4408.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			11237.44
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6830.02	4419.43	11249.45
	भारित:	Charged:	1.00	12.00
	स्वीकृत:	Voted:	6829.02	4408.43
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5401 - Capital Outlay on Atomic Energy Research	Voted:	0.01	...
				0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 300.00 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure (₹ 300.00 crore) of Bhabha Atomic Research Centre.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	77112.30	87.70	77200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	77112.31	87.70	77200.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्वदेशी यूरिया को प्रदान करने हेतु ₹ 5000 करोड़।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

₹ 5000 crore to provide for Indigenous Urea.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 8

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	217.83	30.04	247.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	9.67	9.67
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	217.83	39.71	257.54
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6857 - रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6857 - Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted: ...	9.67 (का)	9.67

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के प्रयोजनार्थ ऋण के तौर पर भारत की समेकित निधि से ₹ 9.67 करोड़ के अग्रिम का रिकूपमेंट।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) recoupment of an advance of ₹ 9.67 crore sanctioned from the Contingency Fund of India as loan to Hindustan Antibiotics Limited for the purpose of payment of salaries of its employees.
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	837.92	6540.10	7378.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	5.00	5.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	837.93	6545.10	7383.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत: 3053 - Civil Aviation	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053 - नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted: 5.00 (खब)	...	5.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 5.00	0.01	5.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 2010-11 तक प्रदत्त सब्सिडी के अनुसरण में वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) को सब्सिडी उपलब्ध कराना (₹ 13.60 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) इसकी विभिन्न परियोजनाओं के नवीकरण के लिए होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में निवेश (₹ 5.00 करोड़)।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing subsidy to Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (IGRUA) for the Financial Year 2011-12 and 2012-13 in continuation of the subsidy provided till 2010-11 (₹ 13.60 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) investment in Hotel Corporation of India for renovation of its various projects (₹ 5.00 crore)
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	5552.00	304.50	5856.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	160.00	160.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5552.50	464.50	6017.00	
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	5552.00	464.50	6016.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5453 - Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	160.00	...	160.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डेवलपिंग एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड अन्य एलाइड एक्टिविटीज के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता हेतु स्कीम को सहायता।

अनुदान के राजस्व भाग में अभ्यर्पित उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त में अलग से कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

Assistance to Scheme for Central Assistance to the States for developing export infrastructure and other allied activities.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 12
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)
(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 1839.27	105.75	1945.02
	भारित: Charged: 0.25	0.25	...	0.25
	स्वीकृत: Voted: 89.01	89.01	...	89.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1928.53	105.75	2034.28
	भारित: Charged: 0.25	0.25	...	0.25
	स्वीकृत: Voted: 1928.28	1928.28	105.75	2034.03
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 - Industries	Voted: 89.00 (का)	...	89.00
2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य व्यय	भारित: 2885 - Other Outlays on Industries and Minerals	Charged: 0.25 (खब)	...	0.25
	स्वीकृत: Voted: 0.01 (गक)	0.01	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	89.26	...	89.26
	भारित: Charged: 0.25	0.25	...	0.25
	स्वीकृत: Voted: 89.01	89.01	...	89.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय विकास कार्यक्रम के तहत ₹ 70 करोड़ और 'मेक इन इंडिया' अभियान के लिए निवेश प्रोन्नति स्कीम के तहत ₹ 52.20 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 33.20 करोड़ की बचत और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 89 करोड़ की बचत जिसका अभ्यर्पण किया जाना है, के मद्देनजर जिसका तकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (ख) मैसर्स स्वास्तिक ऊर्वरक और रसायन प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम की स्वीकृति हेतु रिकाउपमेंट के लिए निवेश सब्सिडी (ओल्ड) के तहत ₹ 0.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु। चूंकि इसे अनुदान के स्वीकृत भाग में समान बचत से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (ग) पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोन्नति नीति (एनईआईपी)(₹ 35 करोड़) और परिवहन सब्सिडी स्कीम (₹ 24.50 करोड़) के तहत लंबित दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना, चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 70 crore under Indian Leather Development Programme and ₹ 52.20 crore under the scheme 'Investment Promotion' towards 'Make in India' campaign. Taking into account the saving of ₹ 33.20 available in the same section of the grant and saving of ₹ 89 crore available in the capital section of the grant, which will be surrendered, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 0.25 crore under Investment Subsidy (Old) for recoupment of the advance sanctioned from Contingency Fund of India for payment to M/s Swastik Fertilizers & Chemicals Pvt. Ltd. As this will be matched by savings in the voted section of the Grant, a technical supplementary is sought.
- (c) meeting additional requirement to settle pending claims under North East Industrial and Investment Promotion Policy (NEIIP) (₹ 35 crore) and Transport Subsidy Scheme (₹ 24.50 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.20	...	0.20
	स्वीकृत:	Voted:	18141.35	518.30	18659.65
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
	भारित:	Charged:	3.43	2.26	5.69
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	18144.98	520.57	18665.55	
	भारित:	Charged:	3.63	2.26	5.89
	स्वीकृत:	Voted:	18141.35	518.31	18659.66
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3201 - डाक सेवाएं	भारित: 3201 - Postal Services	Charged:	...	3.43 (का)	3.43
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5201 - डाक सेवाओं पर पूंजी	भारित: 5201 - Capital Outlay on Postal Services	Charged:	2.26 (खb)	...	2.26
परिव्यय	स्वीकृत:	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	2.27	...	2.27	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	2.27	3.43	5.70	
	भारित:	Charged:	2.26	3.43	5.69
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) आईजॉल (मिजोरम) में काम कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को (₹ 1.66 करोड़) मुआवजे के भुगतान के लिए, (ii) हैदराबाद में अम्बरपेट डाक घर कार्यालय के संबंध में मध्यस्थ द्वारा दिए जाने गए किराए के बकाया के भुगतान के लिए (₹ 0.31 करोड़), (iii) न्यायालय के फैसले के तहत मैसर्स ट्राइंगल मैनेजमेन्ट कम्पनी, लंदन के पेशेवरों को व्यय भुगतान के लिए (₹ 1.44 करोड़) और (iv) तमिलनाडु न्यायालय के फैसले के तहत भुगतान (₹ 0.02 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के कारण तकनीकी पूरक ₹ 3.43 करोड़ अपेक्षित है।

(ख) केरल में भूमि अधिग्रहण के बड़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिए और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के बड़े हुए मुआवजे और

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) (i) payment of compensation (₹ 1.66 crore) to Central Government Employees working at Aizawl (Mizoram); (ii) payment of arrears of rent awarded by the Arbitrator in respect of Amberpet Post Office building in Hyderabad (₹ 0.31 crore); (iii) payment of professional charges to M/s Triangle Management Company, London arising out of Court judgement (₹ 1.44 crore); and (iv) payment arising out of Court judgement in Tamil Nadu (₹ 0.02 crore). As savings are available in the Revenue-Voted section of the grant, technical supplementary of ₹ 3.43 crore is sought;

(b) for making payment of enhanced compensation for land acquisition in Kerala and payment of arrears of cost of land and

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

भूमि खर्च के बकाया के भुगतान के लिए (₹ 2.26 करोड़)। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, तकनीकी पूरक मांगा गया है।

payment of enhanced compensation on acquisition of land in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Uttar Pradesh (₹ 2.26 crore). As savings are available in the Voted section of the grant, a technical supplementary is sought;

(ग) पोस्टल लाइफ इश्योरेंस के निवेश कंप्यूटरीकरण के व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 0.20 करोड़ व्यय पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(c) meeting an expenditure of ₹ 0.20 crore towards computerization of Investment Division of Postal Life Insurance. As the savings are available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	14267.06	3798.00	18065.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	254.65	...	254.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14521.71	3798.00	18319.71
भारित:	Charged:	254.65	...	254.65
स्वीकृत:	Voted:	14267.06	3798.00	18065.06

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	भारित: 3451 - Secretariat-Economic Services	Charged: ...	89.65 (का)	89.65
3275 - अन्य संचार सेवाएं	भारित: 3275 - Other Communication Services	Charged: ...	165.00 (खब)	165.00
जोड़ (पूरक)	भारित: Total (Supplementary)	Charged: ...	254.65	254.65

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary appropriations are required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) मध्यस्थता पुरस्कार दिनांक 12.10.2007 के तहत हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लि. (एचएफसीएल) को ₹ 89.65 करोड़ का भुगतान। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, जोकि अभ्यर्पित की जाएंगी, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ख) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.8.2014 के आदेश के तहत मेसर्स भारतीय दूरभाष उद्योग लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन के बकाया के भुगतान के लिए (₹ 165 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, जोकि अभ्यर्पित की जाएंगी, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।</p> | <p>(a) payment of ₹ 89.65 crore to Himachal Futuristic Communications Ltd. (HFCL) as per Arbitration Award dated 12.10.2007. Taking into account the savings available under the Capital side, which will be surrendered, a technical supplementary is sought</p> <p>(b) payment of arrears of pay (₹ 165 crore) to employees of M/s Indian Telephone Industries Ltd. arising out of Supreme Court Order dated 29.8.2014. Taking into account the savings available under the Capital side, which will be surrendered, a technical supplementary is sought.</p> |
|---|---|

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 15

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3734.10	195.00	3929.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3734.11	195.00	3929.11
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इलेक्ट्रॉनिक शासन की स्कीमों/कार्यक्रमों के अन्तर्गत के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त जरूरत (₹ 73.15 करोड़) पूरी करना। इसमें ये भी शामिल है:

(i) अच्छा शासन व सर्वश्रेष्ठ विधियों संबंधी कार्यक्रम और (ii) सभी विद्यालयों को अभासी कक्षाओं में समर्थ बनाने के कार्यक्रम सहित) इलेक्ट्रॉनिक्स शासन।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Meeting additional expenditure (₹ 73.15 crore) under the schemes/programmes of Electronic Governance (including (i) Programme on Good Governance and Best Practices and (ii) Programme on enabling all schools with virtual classrooms) towards Grants-in-aid General in respect of Programme Component (Electronic Governance).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 16

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	283.49	27.30	310.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	283.51	27.30	310.81
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (क)	...	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 0.01 (ख)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली हेतु स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़) के रूप में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम में प्रावधानों में वृद्धि। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक पार्थित है।
- (ख) राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली हेतु स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.73 करोड़) के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक पार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) For augmentation of provision under NER and Sikkim as Grants-in-aid-General (₹ 0.30 cr.) for the Scheme National System for Standardization. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Additional requirement as Grants-in-aid-General (₹ 2.73 cr.) for the Scheme National System for Standardization. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 17
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	115606.09	10678.25	126284.34
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount			
पूरक अनुमान:	now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	115606.10	10678.26	126284.36
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6860 - Loans for Consumer Industries	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) उपभोक्ता वस्तु बाजार हेतु नियामक ढांचा सुदृढ़ करने के लिए अंतरण योजना के निमित्त वेयर हाउसिंग विकास तथा नियामक प्राधिकरण को सहायता उपलब्ध कराना (₹ 6.90 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) "सुगर मिलों के पुनर्वास/आधुनिकीकरण" स्कीम के अन्तर्गत लंबित दावों के आधार पर चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को अतिरिक्त ऋणों का संवितरण (₹ 50.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing assistance to Warehousing Development and Regulatory Authority (₹ 6.90 crore) to undertake transformation plan for strengthening of regulatory framework for commodity market.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) additional loans to Public Sector and other Undertakings (₹ 50.00 crore) to be disbursed during the current financial year based on pending claims under the scheme "Rehabilitation/Modernization of Sugar Mills".
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 19

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2443.00	68.00	2511.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2443.04	68.00	2511.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत: 2251 -Secretariat-Social Services	Voted: ...	0.01 (क)	0.01
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted: 0.01 (ख)	0.01 (ग)	0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: ...	0.01 (घ)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.03	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) संस्कृति मंत्रालय के अवर-सचिवालय को बजट शीर्ष 2251.00.090.07.03.31 के तहत गैर-आयोजना के तहत ₹ 0.01 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है - मुद्रास्फीति और कलब द्वारा संवर्धित मनोरंजन गतिविधियों के कारण मंत्रालय की मनोरंजन एवं खेल क्लब की अतिरिक्त धन प्रदान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन के रूप में केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी में नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को भुगतान के लिए आयोजना के तहत वेतन सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.00 करोड़ की कुल अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 2. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन के रूप में नव नालंदा महाविद्यालय को पूंजीगत आस्तियों के सृजन कैपस विस्तार और बाउंड्री की दीवार के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण हेतु आयोजना के तहत अनुदान के रूप में ₹ 6.15 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 3. इस स्कीम के तहत म्यूजियम के संकलन और म्यूजियम संबंधी विधाओं के लिए शैक्षिक सुविधाओं का डिजिटलीकरण स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में आयोजना के तहत ₹ 2.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 4. आयोजना के तहत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को आयोजना के तहत निम्नानुसार ₹ 6.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है (i) देश के चार क्षेत्रों में भारतीय क्लासिकल थियेटर में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (ii) एनएसडी कैपस पुनर्निर्मित

The supplementary grants are required for:

(a) Under Secretariat of the Ministry of Culture an additional amount of ₹ 0.01 crore is required under Non-Plan, under Budget Head 2251.00.090.07.03.31 – Grants in aid General for providing additional fund to Recreation and Sports Club of the Ministry, due to inflation and enhanced recreation activities by the Club.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) 1. Central University of Tibetan Studies, Varanasi an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires total additional amount of ₹ 1.00 crore under Plan, as Grants-in-Aid Salaries for payment of newly recruited employees. 2. Nava Nalanda Mahavihara an autonomous organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 6.15 crore under Plan as Grants for creation of Capital Assets, acquisition of additional land for expansion of Campus and construction of Boundary Wall. 3. Digitization of Museums collection and academic facilities for museum related disciplines – under this scheme, an additional amount of ₹ 2.00 crore is required under Plan as Grants in aid General, for meeting additional expenditure requirement under the scheme. 4. National School of Drama, an additional amount of

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5.00 करोड़) (iii) जनजातीय उप-आयोजना के तहत छत्तीसगढ़ में तीन जनजातीय उत्सवों के आयोजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत संबद्ध कार्यालय भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार गैर-आयोजना के तहत कुल ₹ 5.25 करोड़ की राशि अपेक्षित है: (i) बजट शीर्ष 2205.00.104.03.01.13 कार्यालय व्यय के तहत निम्नलिखित के व्यय हेतु ₹ 4.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि (क) एनडीएमसी को विद्युत प्रभार (₹ 3.36 करोड़) और जल प्रभार (₹ 1.76 करोड़) के बकाया का भुगतान करने हेतु; (ख) पांडिचेरी, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर में एनएआईआरसी की आपूर्ति के विविध लंबित बिलों के भुगतान के लिए (₹ 1.60 करोड़) (₹ 0.64 करोड़); (ii) 2009-10 से 2013-14 और वर्तमान वर्ष की शेष अवधि के "किराया दरों व करों" (₹ 0.95 करोड़) के बकाया बिलों के अनिवार्य भुगतान के लिए ₹ 1.20 करोड़ की अतिरिक्त राशि (iii) कैटीन स्टाफ आदि को वेतन के भुगतान हेतु अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत ₹ 0.05 करोड़ की अतिरिक्त राशि 2. मूल्यों के वृद्धि के कारण बिजली और पेट्रोल/डीजल बिलों के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन के रूप में केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी को ₹ 0.85 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 3. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 5.20 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अपर्याप्त निधियों के कारण भुगतान लंबित रहने के पेंशनधारियों को पेंशन, मृत्यु के मामलों में सेवा सामासि लाभों का भुगतान हेतु (₹ 3.60 करोड़); (ii) (₹ 1.60 करोड़) सीजीएचएस अंशदान, और किराया व करों, बिजली, पानी, टेलीफोन, यूनिफार्म, मुद्रण लेखन सामग्री, पेट्रोल, पारिश्रमिक आदि के लिए। 4. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन, सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद को सेवानिवृत्ति लाभ, बिजली व जल प्रभारों के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 5. संस्कृति मंत्रालय के तहत केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, देबांग को स्वायत्त संगठन के रूप में प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी के कारण सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 0.43 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 6. सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन, विक्टोरिया मैमोरियल हॉल को 01.07.2007 से 31.12.2013 की अवधि के लिए जल व विद्युत प्रभारों के लिए कोलकाता नगर निगम को भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 0.90 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 7. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन गांधी स्मृति दर्शन समिति, नई दिल्ली को जल, बिजली प्रभारों, पेंशनरों व सीजीएच आदि को अंशदान के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 0.48 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 8. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता को सामान्य सहायता अनुदान के रूप में कुल ₹ 0.51 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पेंशन और डीसीआरजी के भुगतान के लिए (₹ 0.35 करोड़); (ii) स्टाफ कार के रख-रखाव, टेलीफोन बिलों के भुगतान विभिन्न समिति की बैठक हेतु गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ते के लिए ₹

₹ 6.00 crore is required under plan as under: (i) Grants in aid General (₹ 0.50 crore) for starting training Indian Classical Theatre in four regions in the Country. (ii) Grants for creation of capital assets (₹ 5.00 crore) for re-developing of NSD Campus. (iii) Grants in aid General under Tribal Sub Plan (₹ 0.50 crore) for holding three Tribal festival at Chhattisgarh.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. National Archives of India (NAI), an attached office under the Ministry of Culture, NAI requires total amount of ₹ 5.25 crore under Non Plan as per following details: (i) An additional amount of ₹ 4.00 crore under Budget Head 2205.00.104.03.01.13 office expenses for (a) ₹ 3.36 cr. in order to clear the arrears bill of electricity and water to NDMC (₹ 1.76 cr.); for payment of current electricity bills (₹ 1.60 cr.); (b) ₹ 0.64 cr. for payment of misc. bills pending payment to supplies of NAI RCs at Pondicherry, Jaipur, Bhopal and Bhubaneswar. (ii) An additional amount of ₹ 1.20 crore for mandatory payment of "Rent Rates & Taxes" (₹ 0.95 cr.) arrears bills for 2009-10 to 2013-14 and balance for the current year. (iii) An additional amount of ₹ 0.05 crore under "Other Administration Expenses" for payment of Salary to canteen staff etc. 2. Central University of Tibetan Studies, Varanasi an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires total additional amount of ₹ 0.85 crore as Grants-in-aid-General for payment of electricity and petrol/diesel bills due to hike in prices. 3. Delhi Public Library an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires total additional amount of ₹ 5.20 crore as Grants-in-aid-General, comprising of (i) payment of pension to Pensioners, terminal benefits in death cases kept in abeyance for payment due to insufficient funds (₹ 3.60 crore); (ii) (₹ 1.60 crore) towards CGHS contribution and payment of Rent and Taxes, electricity, water, telephone, uniform, printing, stationery, petrol, wages, etc. 4. Salarjung Museum, Hyderabad an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 1.00 crore as Grants-in-aid-General, for payment of retirement benefit, electricity and water charges. 5. Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahung an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires total additional amount of ₹ 0.43 crore as Grants-in-aid-General due to increase in administrative expenses. 6. Victoria Memorial Hall, Kolkata an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 0.90 crore as Grants-in-aid-General, for payment to Kolkata Municipal corporation on account of water and electricity charges rent payment for the period 01.07.2007 to 31.12.2013. 7. Gandhi Samriti Darshan Samiti, New Delhi an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 0.48 crore as Grants-in-aid-General, for payment of water, electricity charges, contribution of pensioners

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

0.16 करोड़। 9. स्कीम के तहत एक संगठन अर्थात् आर.के. मिशन को भुगतान के लिए प्रतिबद्ध देयताएं पूरी करने के लिए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित कला एवं संस्कृति प्रोन्नति को सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 0.35 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वित्तीय सहायता। 10. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन, एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता को बिजली, जल प्रभारों, टेलीफोन, नगर निगम करों, बिलों आदि के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 11. संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन, इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद को बिजली, जल प्रभारों, टेलीफोन, नगर निगम करों, बिलों आदि के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 0.27 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। 12. केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी, विक्टोरिया मैमोरियल हॉल, कोलकाता, राष्ट्रीय विज्ञान म्यूजियम परिषद, कोलकाता, गांधी स्मृति और दर्शन समिति और नेहरू मैमोरियल म्यूजियम एवं पुस्तकालय को बड़े मंहगाई भत्ते, अन्य भत्तों और एजीपी/एमएसीपी के बकाया आदि के लिए वेतन भुगतान हेतु वेतन सहायता अनुदान के रूप में ₹ 13.95 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (घ) भारतीय आर्कियालोजिकल सर्वे द्वारा संचालित, दिल्ली में एंटीक्टीज ऑफ ट्रिजरी एक्ट के संचालन, एंटीक्टीज ऑफ ट्रिजरी एक्ट, 1972 के कार्यान्वयन के लिए पंजीकरण अधिकारियों व उनके सहयोगी स्टाफ आदि को (विगत वित्तीय वर्ष 2013-14 के बकाया सहित) वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए गैर-आयोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.10 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

and CGHS, etc. 8. Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Kolkata an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires total additional amount of ₹ 0.51 crore as Grants-in-aid-General, comprising of (i) (₹ 0.35 crore) for payment of pension and DCRG (ii) ₹ 0.16 crore for maintenance of staff car, payment of telephone bills and traveling allowance for non-official members for different committee meeting. 9. Grants-in-Aid General for meeting the committed liabilities for payment to R.K. Mission under 'Financial Assistance for Promotion of Art & Culture' (₹ 0.35 crore). 10. The Asiatic Society, Kolkata an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 1.50 crore as Grants-in-aid-General, for making payment of electricity, water charges, telephone, municipal taxes bills, etc. 11. Allahabad Museum, Allahabad an Autonomous Organization under the Ministry of Culture requires additional amount of ₹ 0.27 crore as Grants-in-aid-General for making payment of electricity, water charges, telephone, municipal taxes bills, etc. 12. An additional amount of ₹ 13.95 crore as "Grants-in-aid-Salaries" is required for Central University of Tibetan Studies, Varanasi, Victoria Memorial Hall, Kolkata, National Council of Science Museum, Kolkata, Gandhi Samriti and Darshan Samiti and Nehru Memorial Museum & Library for payment of Salaries on account of enhanced DA, other allowances & ACP/MACP arrears, etc.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) Operation of Antiquities of Treasure Act in Delhi operated by the Archaeological Survey of India an additional amount of ₹ 1.10 crore under Non Plan, as Grants-in-aid-General is required for arrears of salaries (including arrears of last financial year 2013-14) to the Registering Officers and their supporting staff etc. for implementation of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.51	...	0.51
	स्वीकृत:	Voted:	14956.64	1620.72	16577.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	3000.00	...	3000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17957.15	1620.72	19577.87	
	भारित:	Charged:	0.51	...	0.51
	स्वीकृत:	Voted:	17956.64	1620.72	19577.36
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2075 -Miscellaneous General Services	Voted:	...	3000.00	3000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कैंटीन स्टोर विभाग की 'आपूर्ति तथा सामग्री'विषयक ₹ 3000 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसे ₹ 3200 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 3000 crore towards 'supplies & materials' of Canteen Stores Department. This will be matched by additional receipts of ₹ 3200 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 28

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2151.78	351.00	2502.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	2.50	2.52
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2151.80	353.50	2505.30
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.02	...	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4851 - Capital Outlay on Village and Small Industries	Voted: 2.50 (गक)	...	2.50
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 2.52	...	2.52

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत अतिरिक्त व्यय (₹ 60.00 करोड़) पूरा करना।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) 'पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम' के तहत देयताओं को पूरा करने हेतु अतिरिक्त जरूरत (₹ 80.00 करोड़) पूरी करना।
(ii) कारबी एनालॉग आटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल हेतु विशेष पैकेज (₹ 15.00 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमि. में इक्विटी निवेश (₹ 2.50 करोड़)।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure (₹ 60.00 crore) under North Eastern Rural Livelihood Project.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) meeting additional expenditure (₹ 80.00 crore) to meet liabilities under 'North Eastern States Road Investment Programme'.
(ii) Special Package for Karbi Anglong Autonomous Territorial Council (₹ 15.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) equity investment in North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation Limited (₹ 2.50 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 29

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	15266.85	...	15266.85
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now			
पूरक अनुमान:	required:			
स्वीकृत:	Voted:	110.65	...	110.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15377.50	...	15377.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 110.65	...	110.65
सहायता				
<p>टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !</p> <p>Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.</p>				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601 - राज्य सरकारों को	3601 - Grants-in-aid to State Governments	(-) 110.65	...	(-) 110.65
सहायता				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

देश के 82 आईएपी जिलों में 10,000 ग्रामीणवासों में ड्यूल पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम पर आधारित सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से ₹ 110.65 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता। व्यय को नेशनल क्लीन एनर्जी फंड से पूरा किया जाएगा। तकनीकी पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Additional requirement of ₹ 110.65 cr. for installation of Solar Energy based Dual Pump Piped Water Supply Scheme in 10,000 rural habitations in 82 IAP districts of the country. The expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 31

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2404.39	106.11	2510.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	84.01	...	84.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2488.40	106.11	2594.51
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत: 2406 -Forestry and Wild Life	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत: 3435 -Ecology and Environment	Voted: 15.00 (खब)	...	15.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 69.00 (गक)	...	69.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 84.00	0.01	84.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पशु कल्याण बोर्ड को वेतन सहायता अनुदान के अतिरिक्त खर्च (₹ 0.18 करोड़) को पूरा करना।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) के स्थापना संबंधी व्यय (₹ 6 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9 करोड़) पूरा करना और (iii) नेशनल एडेप्टेशन फंड फार क्लाइमेट चेंज के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 99.60 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 0.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 100 करोड़ की बचत के मद्देनजर और अनुदान सं. 106 जल संसाधन मंत्रालय में ₹ 15 करोड़ की उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, तकनीकी पूरक अपेक्षित है, जिसमें कोई नकद नहीं देना होगा।
- (ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के व्यय हेतु अनुदान (₹ 69 करोड़) पूरा करना।
अनुदान सं. 106 जल संसाधन मंत्रालय में ₹ 69 करोड़ की उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, तकनीकी पूरक अपेक्षित है, जिसमें कोई नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure (₹ 0.18 crore) towards Grants-in-aid Salaries to Animal Welfare Board.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting Establishment related expenditure (₹ 6 crore) of National River Conservation Directorate (NRCD); (ii) Grants-in-aid General (₹ 9 crore) under National River Conservation Programme (NRCP) and (iii) Grants-in-aid General (₹ 99.60 crore) and other expenditure (₹ 0.40 crore) under National Adaptation Fund for Climate Change.
Taking into account the savings of ₹ 100 crore available within the same section of the Grant and savings of ₹ 15 crore available in the Grant No. 106 Ministry of Water Resources, which will be surrendered, a technical supplementary is sought, which will not entail cash outgo.
- (c) Meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 69 crore) under National River Conservation Programme.
Taking into account the surrender of savings of ₹ 69 crore available in the Grant No. 106 Ministry of Water Resources, which will be surrendered, a technical supplementary is sought, which will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 32

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	11264.35	3466.01	14730.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11264.39	3466.01	14730.40	
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	11264.36	3466.01	14730.37
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत: 2061 -External Affairs	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बंगलादेश चीन भारत म्यांमार कार्यक्रम (बीसीआईएम) के तहत अन्य प्रशासनिक खर्च (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Other Administrative Expenses (₹ 0.50 crore) under Bangladesh China India Myanmar (BCIM) Programme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 33

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	15719.27	6271.15	21990.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	4.92	6244.71	6249.63
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15724.19	12515.86	28240.05
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं	स्वीकृत: 2047 -Other Fiscal Services	Voted: ...	4.90 (का)	4.90
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 -Technical and Economic Co-operation with Other Countries	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	4.91	4.92
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4058 - लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4058 - Capital Outlay on Stationery and Printing	Voted: ...	0.01 (घd)	0.01
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5466 - Investments in International Financial Institutions	Voted: ...	4187.62 (डe)	4187.62
7475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	स्वीकृत: 7475 - Loans for Other General Economic Services	Voted: ...	2057.08 (चf)	2057.08
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: ...	6244.71	6244.71
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	6249.62	6249.63

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) "किसान विकास पत्र" पुनः शुरू करने के लिए और लड़कियों के लिए प्रस्तावित स्कीम- "सुकन्या समृद्धि स्कीम" के लिए जन प्रचार अभियान का अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 4.90 करोड़) अनुदान के पूंजी भाग में समान परिमाण में बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) में पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.80 करोड़) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूर प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting additional expenditure (₹ 4.90 crore) towards Publicity Campaign for re-introduction of "Kisan Vikas Patra" and proposed Savings Scheme for Girl Child - "Sukanya Samridhi Yojana". After taking into account surrender of savings of an equivalent amount under Capital Section of the Grant, it will not entail cash outgo.

(b) Meeting expenditure (₹ 0.80 crore) for 'Creation of Capital Assets' in Forward Markets Commission (FMC). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | |
|--|--|
| <p>(ग) 'एक्जिम बैंक आफ इंडिया' को ब्याज साम्यकरण सहायता के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 450.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>(घ) बजट प्रेस के लिए 4 कलर सीट फेड मशीन के आपूर्तिकर्ता को रेसिड्यूअल भुगतान करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं इसलिए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>(ङ) (i) कीमत अनुरक्षण (एमओवी) के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को भुगतान के लिए (₹ 4118.80 करोड़) कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इसे प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्ति से पूरा किया जाएगा।</p> <p>(ii) चयनात्मक पूंजी वृद्धि (एससीआई) के लिए अन्तरराष्ट्रीय वित्त संस्थान को भुगतान के लिए (₹ 0.58 करोड़)। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(iii) अफ्रीकी विकास निधि को अंशदान (₹ 68.24 करोड़)। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इसे प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्ति से पूरा किया जाएगा।</p> <p>(च) नई उधार व्यवस्था (एनएबी) के तहत, अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) को ऋण (₹ 2057.08 करोड़) कोई नकद व्यय नहीं होगा। क्योंकि आरबीआई सुपुर्दगी की तारीख को भारत सरकार के नाम में डालेगा और साथ ही एनएबी नोट्स को उसी खाते में जमा करके सुपुर्दगी की तारीख (वैल्यू डेट) पर आरबीआई को अन्तरित कर दिया जाएगा।</p> | <p>(c) Meeting expenditure (₹ 450.00 crore) towards 'Interest equalisation support to Exim Bank of India'. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(d) Making residual payment (₹ 3.90 crore) to the supplier of 4 Colour Sheet- fed Machine for Budget Press. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(e) (i) Making payment (₹ 4118.80 crore) to International Monetary Fund (IMF) towards Maintenance of Value (MoV). There will be no cash out go as this would be matched by receipts in the form of securities.</p> <p>(ii) Making payment to International Finance Corporation (₹ 0.58 crore) towards Selective Capital Increase (SCI). This will entail a cash outgo;</p> <p>(iii) Making subscription to African Development Fund (₹ 68.24 crore). This will not entail cash out go as this would be matched by receipts in the form of securities.</p> <p>(f) Providing loans (₹ 2057.08 crore) to International Monetary Fund (IMF) under New Arrangement to Borrow (NAB). This will not entail a cash outgo as RBI would debit the Government of India Account on value date and simultaneously the NAB Notes will be transferred to the RBI on the same value date by crediting the same account.</p> |
|--|--|

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 34

वित्तीय सेवायें विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	8186.09	24650.01	32836.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	145.01	145.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8186.10	24795.02	32981.12
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6416 - कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6416 - Loans to Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
6885 - उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	स्वीकृत: 6885 - Other Loans to Industries and Minerals	Voted: ...	145.00 (गक)	145.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: ...	145.01	145.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	145.02	145.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत रुपये डेबिट कार्ड धारकों को किसी भी कारण मृत्यु होने के कारण आउटगो क्लेम और प्रशासनिक व्यय को कवर करने के लिए ₹ 100 करोड़ की आरंभिक निधि मुहैया करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) 23 लाइसेंस रहित डिस्ट्रिक्ट को-ओपरेटिव बैंक्स (डीसीसीबी) के पुनरुद्धार के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में नेशनल बैंक का एग्रीकलचर एण्ड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) को केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में निधियां (₹ 673.29 करोड़) उपलब्ध कराना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) (i) लो इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट (क्रेडिट सं. 5283-आईएन) के लिए, वर्ष

The supplementary grants are required for:

(a) Providing an initial fund of ₹ 100 crore required to cover outgo claims and administrative expenses on account of an accident cover i.e. death by any cause to the RuPay Debit Card holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) to be implemented through LIC of India in accordance with the Prime Minister's Independence Day Speech. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Providing funds (₹ 673.29 crore) to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) as interest free loan for revival of 23 Unlicensed District Central Co-operative Banks (DCCBs) as Central Government's share. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) (i) making a provision (₹ 85.00 crore) towards World Bank

2014-15 के दौरान भारत में माइक्रोफाइनेंस तक पहुँच में सुधार के लिए राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक (एनएचबी) को सहायता हेतु विश्व बैंक सहायता में प्रावधान करना (₹ 85.00 करोड़)। (ii) भारत में माइक्रो फाइनेंस (आईडीए सं.4754-आईएन) तक पहुँच में सुधार करने के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक द्वारा सहायता के लिए अतिरिक्त राशि (₹ 60.00 करोड़) मुहैया करना क्योंकि करार के अनुसार ऋण की पूरी राशि मार्च, 2015 तक आहरित की जानी है। चूँकि यह विश्व बैंक सहायता का अंतर खाता अंतरण है, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Assistance to National Housing Bank (NHB) to improve access to microfinance in India during 2014-15 for low Income Housing Finance Project (Credit No. 5283-IN) and (ii) providing additional amount (₹ 60.00 crore) towards World Bank Assistance to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to improve access to microfinance in India (IDA Credit No. 4754-IN) as the entire credit line is to be drawn by March 2015 as per the agreement. As this is an inter-account transfer of the World Bank Assistance, it will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 46

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	785.86	...	785.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	785.87	...	785.87
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: 0.01 (का)	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों, अनुसंधान एवं विकास और अन्य प्रोन्नति गतिविधियों की स्कीम के तहत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला प्रस्तावों और अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के दायित्व पूरा करने के लिए (₹ 5.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) To meet out liabilities for Food Testing Lab proposals and R&D proposals under Scheme for Quality Assurance, Codex, Standards, R&D and other Promotional Activities (₹ 5.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 47
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	36481.30	1964.49	38445.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.07	0.02	0.09
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	36481.37	1964.51	38445.88
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत: 2211 -Family Welfare	Voted: 0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (चf)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (छg)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.05	0.02	0.07
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted: 0.01 (जh)	...	0.01
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted: 0.01 (झi)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.07	0.02	0.09

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान: 1. ओवर साइट समिति के अनुसार उच्चतर अधिगम संस्थान (₹ 7.58 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 20.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (₹ 0.65 करोड़) 4. अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 16.66 करोड़) 5. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर पुडुचेरी (₹ 106.00 करोड़) 6. कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी, वर्धा (₹ 3.22 करोड़) 7. मानव स्वास्थ्य संसाधन-नया चिकित्सा कॉलेज स्थापित करना (जिला अस्पताल का

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 7.58 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 20.00 crore) 3. National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore (₹ 0.65 crore) 4. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 16.66 crore) 5. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 106.00 crore) 6. Kasturba Health Society, Wardha

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

उन्नयन (₹ 0.35 करोड़) 8. नर्सिंग सेवा का विकास (₹ 9.36 करोड़) 9. यास उन्मूलन कार्यक्रम (₹ 0.10 करोड़) 10. राष्ट्रीय ड्रग डि-एडिक्शन प्रोग्राम के तहत एम्स, नई दिल्ली (₹ 1.43 करोड़) और निमहांस, बंगलौर (₹ 0.60 करोड़) 11. लाला रामस्वरूप टी.बी और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 2.10 करोड़) 12. केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (₹ 0.10 करोड़) 13. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्म रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 4.76 करोड़)।

- (ii) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान: 1. ओवर साइट समिति के अनुसार उच्चतर अधिगम संस्थान (₹ 112.12 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 142.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (₹ 21.75 करोड़) 4. अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 7.50 करोड़) 5. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर पुडुचेरी (₹ 132.00 करोड़) 6. मानव स्वास्थ्य संसाधन-नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन (₹ 0.22 करोड़) 7. नेशनल ड्रग डि-एडिक्शन प्रोग्राम के तहत एम्स, नई दिल्ली (₹ 0.80 करोड़) 8. भारतीय फार्माकोपिया आयोग (₹ 2.00 करोड़) 9. नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम (₹ 1.00 करोड़) 10. भारतीय पाथ्यूर संस्थान, कुन्नूर (₹ 13.13 करोड़) 11. राष्ट्रीय जीवविज्ञानी संस्थान, नोएडा (₹ 0.10 करोड़) 12. लाला रामस्वरूप टी.बी और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 6.69 करोड़)।

- (iii) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु वेतन सहायता अनुदान: 1. ओवर साइट समिति के अनुसार उच्चतर अधिगम संस्थान (₹ 32.24 करोड़) 2. वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली (₹ 0.20 करोड़) 3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 52.00 करोड़) 4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (₹ 3.26 करोड़) 5. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी (₹ 25.00 करोड़) 6. कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी, वर्धा (₹ 2.33 करोड़) 7. लाला रामस्वरूप टी.बी और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 2.70 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) (i) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान: 1. वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, नई दिल्ली (₹ 2.10 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 65.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (₹ 6.37 करोड़) 4. अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 0.83 करोड़) 5. स्नातकोत्तर

(₹ 3.22 crore) 7. Human Resources for Health – Establishing New Medical college (Upgrading district Hospital (₹ 0.35 crore) 8. Development of Nursing Service (₹ 9.36 crore) 9. Yaws Eradiction Programme (₹ 0.10 crore) 10. AIIMS, New Delhi (₹ 1.43 crore) and NIMHANS, Bangalore (₹ 0.60 crore) under National Drug De-addiction Programme 11. Lala Ram Swarup Institute of T.B & Allied Diseases, New Delhi (₹ 2.10 crore) 12. Central Bureau of Health Intelligence (₹ 0.10 crore) 13. Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme (₹ 4.76 crore)

- (ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 112.12 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 142.00 crore) 3. National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore (₹ 21.75 crore) 4. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 7.50 crore) 5. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 132.00 crore) 6. Human Resources for Health – Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹ 0.22 crore) 7. AIIMS, New Delhi (₹ 0.80 crore) under National Drug De-addiction Programme 8. Indian Pharmacopoeia Commission (₹ 2.00 crore) 9. National Pharmacovigilance Programme (₹ 1.00 crore) 10. Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 13.13 crore) 11. National Institute of Biologicals, Noida (₹ 0.10 crore) 12. Lala Ram Swarup Institute of T.B & Allied Diseases, New Delhi (₹ 6.69 crore)

- (iii) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Institutions of higher learning as per Oversight Committee (₹ 32.24 crore) 2. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.20 crore) 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 52.00 crore) 4. National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore (₹ 3.26 crore) 5. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 25.00 crore) 6. Kasturba Health Society, Wardha, (₹ 2.33 crore) 7. Lala Ram Swarup Institute of T.B & Allied Diseases, New Delhi (₹ 2.70 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 2.10 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 65.00 crore) 3. National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore (₹ 6.37 crore) 4. All India Institute of

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 5.00 करोड़) 6. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी (₹ 32.00 करोड़) 7. लाला रामस्वरूप टी.बी और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 4.72 करोड़) 8. नई दिल्ली टी.बी केन्द्र (₹ 0.10 करोड़)।</p>	<p>Speech & Hearing, Mysore (₹ 0.83crore) 5. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research. Chandigarh (₹ 5.00crore) 6. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 32.00 crore) 7. Lala Ram Swarup Institute of T.B & Allied Diseases, New Delhi (₹ 4.72 crore) 8. New Delhi T.B.Centre (₹ 0.10 crore)</p>
<p>(ii) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान: 1. वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, नई दिल्ली (₹ 0.10 करोड़) 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 123.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (₹ 3.80 करोड़) 4. अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (₹ 0.08 करोड़) 5. स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 115.00 करोड़) 6. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी (₹ 25.00 करोड़) 7. लाला रामस्वरूप टी.बी और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 1.01 करोड़)।</p>	<p>(ii) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.10 crore) 2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 123.00 crore) 3. National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore (₹ 3.80 crore) 4. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 0.08 crore) 5. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research. Chandigarh (₹ 115.00 crore) 6. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 25.00 crore) 7. Lala Ram Swarup Institute of T.B & Allied Diseases, New Delhi (₹ 1.01 crore)</p>
<p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) (i) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान: 1. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई (₹ 1.11 करोड़) 2. राष्ट्रीय एनआरएचएम कार्यक्रम प्रबंधन सुदृढीकरण (₹ 43.47 करोड़) 3. गांधी ग्राम संस्थान-एनएचएम/एलएचवी का प्रशिक्षण (₹ 0.02 करोड़) 4. जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (₹ 3.93 करोड़) 5. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य में प्रशिक्षण (₹ 0.50 करोड़) 6. आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल-जीसी (₹ 1.37 करोड़) 7. मिशन फ्लैक्सीबल पूल (₹ 0.60 करोड़) 8. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम (₹ 0.50 करोड़)।</p>	<p>(c) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. International Institute for population Sciences, Mumbai (₹ 1.11crore) 2. Strengthening National Programme management of the NRHM (₹ 43.47 crore) 3. Gandhigram Institute – Training of ANM/LHVs (₹ 0.02 crore) 4. Population Research Centres (₹ 3.93 crore) 5. Training in Reproductive & Child Health (₹ 0.50crore) 6. RCH Flexible Pool – GC (₹ 1.37 crore) 7. Mission Flexible Pool (₹ 0.60 crore) 8. Pulse Polio Immunization Programme (₹ 0.50 crore)</p>
<p>(ii) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.16 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement to International Institute for population Sciences, Mumbai (₹ 1.16 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.25 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(d) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi (₹ 0.25 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ङ) (i) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान: 1. जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (₹ 0.50 करोड़) 2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति (₹ 0.70 करोड़) 3. इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 24.15 करोड़) 4. क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान, इम्फाल (₹ 3.05 करोड़) 5. क्षेत्रीय पैरामेडिकल और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजवाल (₹ 1.00 करोड़) 6. मानव स्वास्थ्य संसाधन-फार्मैसी विद्यालयों/ कॉलेजों का</p>	<p>(e) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Population Research Centres(₹ 0.50 crore) 2. Free supply of Family Planning Material to States/UTs (₹ 0.70 crore) 3. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 24.15 crore) 4. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 3.05 crore) 5. Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences,</p>

सुदृढीकरण/उन्नयन (₹ 1.64 करोड़) – (₹ 1.36 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 0.20 करोड़ एससीपी के लिए और ₹ 0.08 करोड़ टीएसपी के लिए) 7. राष्ट्रीय नशामुक्ति नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.04 करोड़) 8. आरसीएच-फ्लैक्सिबल पूल-जीसी (₹ 136.84 करोड़) – (₹ 95.83 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 26.53 करोड़ एससीपी के लिए ₹ 14.48 करोड़ टीएसपी के लिए) 9. मिशन फ्लैक्सिबल पूल (₹ 96.16 करोड़) – (₹ 67.93 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 18.00 करोड़ एससीपी के लिए और ₹ 10.23 करोड़ टीएसपी के लिए) 10. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम (₹ 2.00 करोड़) – (₹ 1.00 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 0.50 करोड़ एससीपी के लिए और ₹ 0.50 करोड़ टीएसपी के लिए) 11. देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को निःशुल्क जेनेरिक औषधियां प्रदान करना (₹ 48.50 करोड़) 12. आवश्यक नैदानिक सुविधाएं प्रदान करना (₹ 24.00 करोड़) 13. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 4.48 करोड़) 14. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (जीसी) (₹ 17.62 करोड़) – (₹ 9.67 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 0.70 करोड़ एससीपी के लिए और ₹ 7.25 करोड़ टीएसपी के लिए) 15. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम – (नकद अनुदान-टीएसपी के तहत (ईएसी)) (₹ 23.67 करोड़) 16. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम उत्पाद अनुदान-टीएसपी के तहत (ईएसी) (₹ 0.62 करोड़) 17. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम उत्पाद अनुदान –एसटी के तहत (जीसी) (₹ 3.25 करोड़) 18. एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (₹ 5.00 करोड़) 19. राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.03 करोड़) 20. असंचारी रोगों हेतु फ्लैक्सिबल पूल-टीएसपी के तहत राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.69 करोड़) 21. अन्य स्वास्थ्य स्कीमें (प्रायोगिक)- बधिरता (₹ 0.70 करोड़)- (₹ 0.13 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए और ₹ 0.57 करोड़ टीएसपी के लिए) 22. अन्य स्वास्थ्य स्कीमें (प्रायोगिक)-फ्लूरोसिस (₹ 0.22 करोड़) 23. रूटीन प्रतिरक्षण कार्यक्रम-जीसी (₹ 31.15 करोड़) 24. असंचारी रोगों के लिए फ्लैक्सिबल पूल- टीएसपी के तहत राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 5.00 करोड़) 25. असंचारी रोगों के लिए फ्लैक्सिबल पूल- टीएसपी के तहत कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोगों और आघात की रोकथाम व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, (₹ 4.68 करोड़)।

- (ii) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान: 1. इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹ 44.86 करोड़) 2. क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान, इम्फाल (₹ 103.59 करोड़) 3. क्षेत्रीय फार्मास्युटिकल और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजवाल (₹ 2.00 करोड़) 4. मानव स्वास्थ्य संसाधन-फार्मसी विद्यालय/ कॉलेजों का सुदृढीकरण/उन्नयन (₹ 0.60 करोड़) – (₹ 0.20 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 0.24 करोड़ एससीपी के लिए, ₹ 0.16 करोड़ टीएसपी के लिए) 5. मानव स्वास्थ्य संसाधन- नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना (जिला

Aizawl (₹ 1.00 crore) 6. Human Resources for Health – Strengthening/Upgradation of Pharmacy School/Colleges (₹ 1.64 crore) – (₹ 1.36 crore for General Area, ₹ 0.20 crore for SCP and ₹ 0.08 crore for TSP) 7. National Drugs De-addiction Control Programme (₹ 0.04 crore) 8. RCH Flexible Pool – GC (₹ 136.84 crore) – (₹ 95.83 crore for General Area, ₹ 26.53 crore for SCP and ₹ 14.48 crore for TSP) 9. Mission Flexible Pool (₹ 96.16 crore) – (₹ 67.93 crore for General Area, ₹ 18.00 crore for SCP and ₹ 10.23 crore for TSP) 10. Pulse Polio Immunization Programme (₹ 2.00 crore) – (₹ 1.00 crore for General Area, ₹ 0.50 crore for SCP and ₹ 0.50 crore for TSP) 11. Providing Free generic medicines in all public health institutions in the country (₹ 48.50 crore) 12. Providing free Essential Diagnostics (₹ 24.00 crore) 13. National Vector Borne Disease Control Programme (₹ 4.48 crore) 14. National Vector Borne Disease Control Programme –GC (₹ 17.62 crore) – (₹ 9.67 crore for General Area, ₹ 0.70 crore for SCP and ₹ 7.25 crore for TSP) 15. National Vector Borne Disease Control Programme Cash Grant –(EAC) under TSP (₹ 23.67 crore) 16. National Vector Borne Disease Control Programme Commodity Grant –(EAC) under TSP (₹ 0.62 crore) 17. National Vector Borne Disease Control Programme Commodity Grant –(GC) under ST (₹ 3.25 crore) 18. Integrated Diseases Surveillance Project (₹ 5.00 crore) 19. National Programme for Prevention and Control of Deafness (₹ 0.03 crore) 20. Flexible Pool for Non-Communicable Disease – National Programme for Prevention and Control of Deafness under TSP (₹ 0.69 crore) 21. Other health Schemes (Pilot) – Deafness (₹ 0.70 crore) – (₹ 0.13 crore for General Area and ₹ 0.57 crore for TSP) 22. Other health Schemes (Pilot) – Fluorosis (₹ 0.22 crore) 23. Routine Immunization Programme – GC (₹ 31.15 crore) 24. Flexible Pool for Non-Communicable Disease – National Blindness Control Programme under TSP (₹ 5.00 crore) 25. Flexible Pool for Non-Communicable Disease – National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke under TSP (₹ 4.68 crore)

- (ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 44.86 crore) 2. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 103.59 crore) 3. Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl (₹ 2.00 crore) 4. Human Resources for Health – Strengthening/ Upgradation of Pharmacy School/Colleges (₹ 0.60 crore) – (₹ 0.20 crore for General

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>असचपतालों का उन्नयन)(₹ 36.33 करोड़) – (₹ 25.44 करोड़ सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 7.05 करोड़ एससीपी के लिए और ₹ 3.84 करोड़ टीएसपी के लिए) 6. मिशन फ्लैक्सीबल पूल (₹ 11.61 करोड़) – (सामान्य क्षेत्र के लिए, ₹ 7.55 करोड़ एससीपी के लिए ₹ 2.89 करोड़ और टीएसपी के लिए ₹ 3.84 करोड़) 7. देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को जेनेटिक औषधियाँ निःशुल्क प्रदान करना (₹ 1.50 करोड़) 8. आवश्यक डाइग्नोस्टिक निःशुल्क प्रदान करना(₹ 1.00 करोड़) 9. राष्ट्रीय बधिर रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.08 करोड़) 10. अन्य स्वास्थ्य स्कीमों (प्रयोगिक)-टीएसपी के तहत बधिरता (₹ 0.41 करोड़) 11. असंचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल-टीएसपी के तहत राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 0.51 करोड़) 12. अन्य स्वास्थ्य स्कीमों (प्रयोगिक) बधिरता (₹ 0.20 करोड़) 13. असंचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल-टीएसपी के तहत कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोगों व आघातों के लिए राष्ट्रीय रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 3.04 करोड़)।</p>	
<p>(iii) इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)- वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।</p>	<p>(iii) Grants -in-aid Salaries for meeting additional requirement under North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 2.00 crore)- for meeting additional expenditure on salary.</p>
<p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(च) (i) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान: 1. गिनिया-कृमि उन्मूलन कार्यक्रम (₹ 0.10 करोड़) 2. आवश्यक डाइग्नोस्टिक्स निःशुल्क प्रदान करना (₹ 209.00 करोड़) 3. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम- उत्पाद अनुभाग-ईएसी (₹ 20.00[सामान्य - ₹ 15.10 करोड़, एससीएसपी - ₹ 4.18 करोड़, टीएसपी - ₹ 0.72 करोड़]) 4. राष्ट्रीय रोगवाहक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम- उत्पाद अनुभाग-ईएसी ₹ 27.70 करोड़ [सामान्य - ₹ 15.03 करोड़, एससीएसपी - ₹ 12.61 करोड़, टीएसपी - ₹ 0.06 करोड़]) 5. चिकित्सा पुनःसुधार (₹ 15.06 करोड़)।</p>	<p>(f) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1. Guinea – Worm Eradication Programme (₹ 0.10crore) 2. Providing Free essential Diagnostics (₹ 209.00 crore) 3. National Vector Borne Disease Control Programme – Commodity Grants –EAC (₹ 20.00[General - ₹ 15.10 crore, SCSP - ₹ 4.18 crore, TSP - ₹ 0.72 crore]) 4. National Vector Borne Disease Control Programme – Cash Grants – EAC (₹ 27.70 crore[General - ₹ 15.03 crore, SCSP - ₹ 12.61 crore, TSP - ₹ 0.06 crore]) 5. Medical Rehabilitation (₹ 15.06 crore)</p>
<p>(ii) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान: 1. देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को जेनेटिक औषधियां निःशुल्क प्रदान करना (₹ 13.19 करोड़)(2) आवश्यक डाइग्नोस्टिक्स निःशुल्क प्रदान करना (₹ 10.90 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/ Schemes: (1) Providing Free generic medicines in all public health inst. In the country (₹ 13.19 crore). (2) Providing Free Essential Diagnostics (₹ 10.90 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(छ) (i) देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जेनेटिक औषधियों को निःशुल्क प्रदान करने के तहत अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.71 करोड़)।</p>	<p>(g) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under providing free generic medicines in all public health institute in the Country (₹ 6.71 crore).</p>
<p>(ii) देश में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जेनेटिक औषधियां</p>	<p>(ii) Grants for creation of Capital assets for meeting additional</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

निःशुल्क प्रदान करने के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ज) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु पूरक अनुदान: 1. राष्ट्रीय मेडिकल पुस्तकालय (₹ 4.03 करोड़) – प्रमुख निर्माण कार्यों का व्यय पूरा करने के लिए 2. सी.जी.एच.एस. स्कीम के तहत औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना के लिए अनुदान (₹ 11.55 करोड़) – प्रमुख निर्माण कार्यों का व्यय पूरा करने के लिए 3. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 306.00 करोड़) – प्रमुख निर्माण कार्यों का व्यय पूरा करने के लिए 4. डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 22.00 करोड़) – मशीनरी उपकरणों की खरीद (₹ 20.00 करोड़) और प्रमुख निर्माण कार्यों (₹ 2.00 करोड़) का व्यय पूरा करने हेतु 5. केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान (₹ 17.50 करोड़) – मशीनरी व उपकरणों की खरीद का व्यय पूरा करने हेतु 6. अखिल भारतीय शारीरिक मेडिकल और पुनःसुधार संस्थान, मुंबई (₹ 0.70 करोड़) – मशीनरी व उपकरणों की खरीद (₹ 0.60 करोड़) और प्रमुख निर्माण कार्यों (₹ 0.10 करोड़) 7. केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलेपट्टू (₹ 0.65 करोड़) – वाहनों (₹ 0.15 करोड़) और उपकरणों (₹ 0.25 करोड़) की खरीद के व्यय के साथ-साथ प्रमुख निर्माण कार्यों (₹ 0.25 करोड़ में अतिरिक्त व्यय हेतु) 8. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान असाका (₹ 5.55 करोड़) – प्रमुख निर्माण कार्यों में व्यय पूरा करने के लिए 9. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान रायपुर प्रमुख निर्माण कार्यों में व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.03 करोड़) 10. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गौरीपुर (₹ 0.81 करोड़) – मशीनों की खरीद (₹ 0.01 करोड़) और प्रमुख निर्माण कार्यों (₹ 0.80 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए 11. बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, गिंडी (₹ 4.00 करोड़) – मशीनरी व उपकरणों (₹ 4.00 करोड़) की खरीद का व्यय पूरा करने के लिए 12. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (₹ 2.50 करोड़) – मशीनरी व उपकरण की खरीद पर व्यय करने के लिए 13. केन्द्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन (₹ 2.40 करोड़) – प्रमुख निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त खर्च के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (झ) केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेगालपट्टू ₹ 0.10 करोड़) – प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

requirement under providing free generic medicine in all public health inst. In the country (₹ 0.21 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (h) The Supplementary Grants is required for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. National Medical Library (₹ 4.03 crore) – for meeting expenditure in major works. 2. Setting up of Dispensaries/Hospital under CGHS (₹ 11.55 crore) – for meeting expenditure on major works. 3. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 306.00 crore) – for meeting expenditure on major works. 4. Dr. RML Hospital, New Delhi (₹ 22.00 crore) – for meeting expenditure on procurement of machinery & equipment (₹ 20.00 crore) and on major work (₹ 2.00 crore) 5. Central Institute of Psychiatry (₹ 17.50 crore) – for meeting expenditure on procurement of machinery & equipments. 6. All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai (₹ 0.70 crore) – for meeting additional expenditure in machinery & equipment (₹ 0.60 crore) and major works (₹ 0.10 crore) 7. Central Leprosy training & Research Institute, Chenglepattu (₹ 0.65 crore) – for meeting procurement of vehicles (₹ 0.15 crore) and equipment (₹ 0.25 crore) and also additional expenditure in major works (₹ 0.25 crore). 8. Regional Leprosy training & Research Institute, Aska (₹ 5.55 crore) – for meeting expenditure in major works. 9. Regional Leprosy training & Research Institute, Raipur (₹ 0.03 crore) – for meeting expenditure in major works. 10. Regional Leprosy training & Research Institute, Gauripur (₹ 0.81 crore) – for meeting expenditure on procurement of machinery (₹ 0.01 crore) and on major works (₹ 0.80 crore) 11. BCG Vaccine Laboratory, Guindy (₹ 4.00 crore) – for meeting expenditure on procurement of machinery & equipment (₹ 4.00 crore). 12. National Organ Transplant Programme (₹ 2.50 crore) – for meeting expenditure on procurement of equipment. 13. Central Drugs Standards Control Organization (₹ 2.40 crore) – for meeting additional expenditure on major works.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Central Leprosy teaching & Research Institute, Chengalpattu (₹ 0.10 crore) – for meeting expenditure on major works.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 49

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1017.67	...	1017.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1017.70	...	1017.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01 (का)	0.01 (ख)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (ग)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) नीचे दिए हुए संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान: 1. अनुसंधान संचालन पर बढ़ावा और सलाह (₹ 0.25 करोड़) 2. चिकित्सीय, बाइओमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वयन (₹ 13.50 करोड़) 3. स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा, समन्वयन और विकास के लिए (₹ 9.00 करोड़) – लागू अनुसंधान के लिए ₹ 3.00 करोड़, रोग-विषयक अनुसंधान के लिए ₹ 3.00 करोड़ और मौलिक अनुसंधान के लिए ₹ 3.00 करोड़ 4. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के लिए (₹ 130.60 करोड़) राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान ईकाईयों के लिए 5. (₹ 4.50 करोड़) – लागू अनुसंधान के लिए ₹ 1.00, रोग - विषयक अनुसंधान के लिए ₹ 1.00 करोड़ और मौलिक अनुसंधान के लिए ₹ 2.50 करोड़ 6. प्राकृतिक विपत्ति के संचालन के लिए (₹ 45.50 करोड़)।
- (ii) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को (₹ 40.00 करोड़)।
- (iii) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को (₹ 2.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. Promotion and Guidance on Research Governance (₹ 0.25 crore) 2. Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research (₹ 13.50 crore) 3. Promotion, Co-ordination and Development of Health Research (₹ 9.00 crore) – ₹ 3.00 crore for Applied Research, ₹ 3.00 crore for Clinical Research and ₹ 3.00 crore for Basic Research 4. Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹ 130.60 crore) 5. Model Rural Health Research Units in the States (₹ 4.50 crore) – ₹ 1.00 crore for Applied Research, ₹ 1.00 crore for Clinical Research and ₹ 2.50 crore for Basic Research 6. Management of Natural Calamities (₹ 45.50 crore)
- (ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹ 40.00 crore).
- (iii) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹ 2.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | |
|---|---|
| <p>(ख) (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 52.23 करोड़)।</p> <p>(ii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 18.10 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> | <p>(b) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹ 52.23 crore)</p> <p>(ii) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹ 18.10 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ग) निम्नलिखित संस्थानों/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (1) चिकित्सीय बाइयोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वयन के लिए (₹ 2.00 करोड़) (2) प्राकृतिक विपत्ति के संचालन के लिए (₹ 4.50 करोड़) (3) स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रोन्नति, समन्वय और विकास (₹ 1.00 करोड़) - लागू अनुसंधान के लिए ₹ 0.50 करोड़ और विषयक अनुसंधान के लिए ₹ 0.50 करोड़। (4) राज्यों में मॉडल माडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान/मौलिक अनुसंधान के लिए (₹ 0.50 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> | <p>(c) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/Programmes/Schemes: 1.Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research (₹ 2.00 crore) 2.Management of Natural Calamities (₹ 4.50 crore) 3.Promotion, Co-ordination and Development of Health Research (₹ 1.00 crore)- ₹ 0.50 crore for Applied Research and ₹ 0.50 crore for Clinical Research 4. Model Rural Health Research Units in the States, Basic Research (₹ 0.50 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 51

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
स्वीकृत:	Voted:	672.56	571.06	1243.62		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
भारित:	Charged:	...	25.08	25.08		
स्वीकृत:	Voted:	409.70	90.02	499.72		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1082.26	686.16	1768.42		
भारित:	Charged:	...	25.08	25.08		
स्वीकृत:	Voted:	1082.26	661.08	1743.34		
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:						
		आयोजना Plan	आयोजना- निम्न Non-Plan	जोड़ Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (का)	...	0.01	
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	...	409.69 (खb)	409.69	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	409.69	409.70	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4860 - उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4860 - Capital Outlay on Consumer Industries	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01	
6858 - अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	भारित: 6858 - Loans for Engineering Industries	Charged:	...	16.03 (घd)	16.03	
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01 (ङe)	0.01	
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	भारित: 6860 - Loans for Consumer Industries	Charged:	...	9.05 (चf)	9.05	
	स्वीकृत:	Voted:	...	90.00 (छg)	90.00	
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	115.10	115.10	
	भारित:	Charged:	...	25.08	25.08	
	स्वीकृत:	Voted:	...	90.02	90.02	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	...	524.79	524.80	
	भारित:	Charged:	...	25.08	25.08	
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	499.71	499.72	

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) कछार पेपर मिल (सीपीएम), हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी को सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, वर्ष 2013-14 के लिए सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त प्रचालन लागत (₹ 70.86 करोड़) पूरी करने के लिए स्वीकृत सीएफआई अग्रिम (₹ 70.86 करोड़) का रिक्रूपमेंट। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) Recoupment of CFI advance (₹ 70.86 cr.) sanctioned to Cachar Paper Mill (CPM), a unit of Hindustan Paper Corporation to meet additional operational costs (₹ 70.86 crore) as transport subsidy for the year 2013-14 as per CCEA approval. Taking into account the saving available within same section of Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>(ख) (i) एचएमटी लिमि. के अनुमोदित पुनरुद्धार आयोजना के अनुसार भारत सरकार के ऋण पर 31.03.2014 तक ब्याज (₹ 38.58 करोड़) की छूट क्योंकि बुक एडजस्टमेंट और नकद व्यय शामिल नहीं है।</p> <p>(ii) सामान्य ब्याज (₹ 92.43 करोड़) भारत सरकार ऋण पर शास्ति ब्याज व प्रोद्भूत (₹ 241.83 करोड़) की छूट लेकिन यह 31.03.2012 को भारत सरकार के ऋण (₹ 20.94 करोड़) पर देय बकाया न हो और एनईपीए लिमि. के अनुमोदित आयोजना के भाग के रूप में केंद्रीय सरकारी प्राक्रिकर्वा को (₹ 13.38 करोड़) के सांविदिक देयों की छूट क्योंकि बुक एडजस्टमेंट और नकद व्यय शामिल नहीं है।</p> <p>(iii) सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार भारी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमि. को पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में 2014-15 अवधि के लिए गारंटी फीस सब्सिडी (₹ 2.53 करोड़) क्योंकि बुक एडजस्टमेंट और नकद व्यय शामिल नहीं है।</p>	<p>(b) (i) Waiver of interest (₹ 38.58 crore) upto 31.03.2014 on GOI loan as per the approved revival plan of HMT Ltd., as book adjustment and no cash outgo is involved.</p> <p>(ii) Waiver of normal interest (₹ 92.43 crore), penal interest on Gol loan (₹ 241.83 crore) and interest accrued but not due on Gol loan (₹ 20.94 crore) outstanding as on 31.03.2012 and waiver of statutory dues to Central Govt. Authorities (₹ 13.38 crore) as a part of approved Revival Plan of NEPA Limited as book adjustment and no cash outgo is involved.</p> <p>(iii) Guarantee fee subsidy (₹ 2.53 crore) for the period 2014-2015 as a part of revival package to Heavy Engineering Corporation Ltd. as per CCEA approval as book adjustment and no cash outgo is involved.</p>
<p>(ग) कंपनी के अनुमोदित पुनरुद्धार आयोजना के भाग के रूप में एनईपीए के संबंध में गैर-आयोजना ऋण (₹ 231.01 करोड़) का इक्विटी में अंतरण। आवश्यक लेखांकन समायोजन हेतु सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(घ) (i) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशों के अनुपालन में एचसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया के भुगतान हेतु स्वीकृत गैर-आयोजन ऋण के तौर पर (₹ 14.66 करोड़) के सीएफआई अग्रिम का रिकूपमेंट।</p> <p>(ii) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, डिब्री होल्डर मैसर्स इंडो स्विस् ज्वैल्स लिमि. को भुगतान के लिए एचएमटी लिमि. को (₹ 1.37 करोड़) का गैर-आयोजना ऋण। अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग (स्वीकृत) में समान राशि की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त रूप में अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।</p>	<p>(c) Conversion of Non- Plan Loan (₹ 231.01 crore), into equity in respect of NEPA Ltd. as a part of the approved Revival Plan of the company. A token supplementary is sought for the necessary accounting adjustments.</p> <p>(d) (i) Recoupment of CFI advance of ₹ 14.66 crore as non-plan loan sanctioned for payment of arrears to the retired employees of HCL in compliance of the order of Hon'ble High Court of Calcutta.</p> <p>(ii) Non-Plan loan ₹ 1.37 crore to HMT Ltd. for payment of decree holder M/s Indo Swiss Jewels Limited in compliance of the Hon'ble High Court order.</p>
<p>अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग(स्वीकृत) में उपलब्ध राशि के बराबर बचत अभ्यर्पण को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ङ) एटएमटी मशीन टूल्स लिमि. को (₹ 50 करोड़) की कार्यशील पूंजीकरण सहित एचएमटी लिमि. को गैर-आयोजना ऋण (₹ 90.80) और एचएमटी टूल्स लिमि. के कर्चचारियों को वेतन/पारिश्रमिक व सांविधिक देयों और एचएमटी लिमि. को वर्ष 2014-15 के लिए 1997 वेतन संशोधन के अतिरिक्त प्रभाव के लिए ₹ 29.34 करोड़ तथा 7% की दर से ब्रिज ऋण के तौर पर (₹ 11.46 करोड़) के भुगतान की अतिरिक्त जरूरत अर्थात दूसरे वर्ष 2014-15 के लिए एचएमटी वेतन-संशोधन-1997, जैसा एचएमटी लिमि. और इसकी सहायक कंपनी एचएमटी टूल्स लिमि. के पुनर्गठन आयोजना में अनुमोदित है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(e) Taking into account the surrender of savings of the equivalent amount available in the Revenue/Capital Section (voted) of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> <p>Additional requirement as non-plan loan to HMT Ltd (₹ 90.80 crore comprising ₹ 50 crore working capital loan for HMT Machine Tools Ltd., and ₹ 29.34 crore towards payment of additional impact of implementation of 1997 pay revision for year 2014-2015 and ₹ 11.46 crore as bridge loan @ 7% towards additional impact of 1997 pay revision to HMT Ltd. for second year 2014-15) as approved restructuring plan of HMT Ltd. and its subsidiary HMT Machine Tools Ltd. Taking into account the savings available within same section of grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(च) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में टायर कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया लिमि. (टीसीआईएल) को गैर आयोजना ऋण के रूप में असुरक्षित देन-दारों को भुगतान के लिए सीएफआई अग्रिम (₹ 9.05 करोड़) का रिकूपमेंट अनुदान के पूंजी भाग (स्वीकृत) में समान परिमाण में बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।</p>	<p>(f) Recoupment of CFI advance (₹ 9.05 crore) as non-plan loan to Tyre Corporation of India Ltd. (TCIL) for payment to the unsecured creditors in compliance of Hon'ble High Court order. Taking into account the surrender of savings of the equivalent amount available in the capital section (voted) of the grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo</p>
<p>(छ) हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को कर्मचारियों को अनुमोदित संबंधित वीआरएस/वीएसएस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए गैर-आयोजना ऋण के रूप में अतिरिक्त जरूरत। अनुदान के राजस्व भाग के तहत उपलब्ध बचत (₹ 90 करोड़) के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(g) Additional requirement as non plan loan to Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd towards implementation of approved enhanced VRS/VSS package to employees. Taking into account the savings (Rs 90 crore) available under Revenue Section of Grant, a technical supplementary is sought.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 54

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	433.52	...	433.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	433.53	...	433.53
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012 - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	स्वीकृत: 2012 -President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई स्कीमों के अनुसार, पूर्व-राज्यपालों को सचिवालयी व्यय के लिए ₹ 0.88 करोड़ की प्रतिपूर्ति।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Reimbursement of Secretariat expenditure to Ex-Governors of ₹ 0.88 crore as per the new scheme approved by the Cabinet.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 55

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	12.84	7.92	20.76
स्वीकृत:	Voted:	50019.52	9863.48	59883.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.02	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	50032.38	9871.42	59903.80
भारित:	Charged:	12.84	7.92	20.76
स्वीकृत:	Voted:	50019.54	9863.50	59883.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 - Police	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खब)	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted: 0.01 (गक)	0.01 (घद)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.02	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेशों में आग और आपातकालीन सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु ₹ 10.00 करोड़।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) सीमा पर बाड़ के रखरखाव और सीमा क्षेत्रों में फ्लड लाइटिंग के बिजली बिलों के भुगतान के लिए ₹ 20.00 करोड़।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) वृक्षारोपण आदि की प्रतिपूर्ति और भारत म्यांमार सीमा के साथ-साथ सड़क के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के लिए परामर्श शुल्क के भुगतान के लिए आवश्यक ₹ 23.51 करोड़।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) अनुसंधान के लिए ₹ 270.00 करोड़ की राशि।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) ₹ 10.00 cr. for modernisation of fire and emergency services in union Territories without Legislature.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) ₹ 20.00 crore for maintenance of the border fencing and payment of electricity bills of flood lightening in the border areas.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) ₹ 23.51 crore required for payment of compensation for afforestation, etc. and for payment of consultancy fees for feasibility studies for construction of Road along Indo Myanmar Border.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) An amount of ₹ 270.00 is for research.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 58

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	6008.62	...	6008.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6008.65	...	6008.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत: 2215 -Water Supply and Sanitation	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2216 - आवास	स्वीकृत: 2216 -Housing	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted: 0.01 (गक)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) स्कीम "एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता" स्कीम के तहत अन्य प्रशासनिक व्यय की जरूरत पूरी करना (₹ 0.26 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) "राजीव ऋण योजना" के तहत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 2.00 करोड़) और सभी को आवास हेतु नये मिशन (₹ 0.01 करोड़) की जरूरत पूरी करना।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) "राजीव आवास योजना" स्कीम के तहत विज्ञापन व प्रचार की जरूरत पूरी करना (₹ 10.00 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting requirement of Other Administrative Expenses under the scheme "Integrated Low Cost Sanitation" (₹ 0.26 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting requirement of Other Administrative Expenses under "Rajiv Rinn Yojana" (₹ 2.00 crore) and for "New Mission for Housing for All" (₹ 0.01 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting requirement of advertising & publicity under the scheme "Rajiv Awas Yojana" (₹ 10.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 59

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	82695.10	...	82695.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	82695.12	...	82695.12
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01	(का) ...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01	(खब) ...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) केंद्रीय विद्यालय संगठन की 4000 अतिरिक्त शिक्षकों को भर्ती के रूप में भर्ती की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹ 261.00 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) राज्य सरकारों को श्रेष्ठता के बेचं मार्ग के तौर पर ब्लॉक स्तर 6000 मॉडल विद्यालय की स्थापना की स्कीम के तहत सहायता अनुदान। (₹ 430.00 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) Grants-in-aid Salary for meeting the additional requirement to the Kendriya Vidyalaya Sangathan (₹ 261.00 crore) as the recruitment of 4000 additional teachers.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid to State Government under the Scheme for setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence (₹ 430.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 60

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	27656.00	...	27656.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	27656.03	...	27656.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत: 2203 -Technical Education	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खब)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) (i) स्कीम “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आन्ध्र प्रदेश” के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।</p> <p>(ii) स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान:राष्ट्रीय डिजाइन नवप्रवर्तन पहल (₹ 27.00 करोड़) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आन्ध्र प्रदेश (₹ 0.50 करोड़)।</p> | <p>(a) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the Scheme of “Indian Institute of Information and technology, Andhra Pradesh” (₹ 0.50 crore).</p> <p>(ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the schemes: National Initiative for Design Innovation (₹ 27.00 crore) and Indian Institute of Information and Technology, Andhra Pradesh (₹ 0.50 crore).</p> |
|--|---|

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|---|--|
| <p>(ख) “भारतीय प्रबंधन संस्थान(आईआईएम)” स्कीम के तहत पैन आईआईएम कार्य प्रबंधन पर सम्मेलन के आयोजन के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.20 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> | <p>(b) Grants-in-aid General for meeting additional requirement for organizing conference on PAN IIM work Management under the scheme of “ Indian Institutes of Management (IIMs)” (₹ 1.20 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ग) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i)राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (₹ 100.00 करोड़) (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान (₹ 10.00 करोड़) (iii) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईआईएफटी, रांची सीआईटी, कोकराझार सहित (₹ 20.00 करोड़)।</p> | <p>(c) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following schemes. (i) National Institutes of technology (NITs) (₹ 100.00 crore) (ii) Indian Institutes of Management (₹ 10.00 crore) (iii) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar ₹ 20.00 crore)</p> |

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 62

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5783.78	19.53	5803.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5783.81	19.53	5803.34
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत: 2230 -Labour and Employment	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सामान्य सहायता अनुदान में कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत राज्य सोसायटियों को केन्द्र द्वारा दिए जाने वाला हिस्सा प्रदान करने हेतु व्यय पूरा करने के लिए (सामान्य एससीएसपी और टीएसपी घटक) (₹ 1.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) (i) सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी घटक) और पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन (सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी घटक) को अनुदान और कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत प्रतिबद्धित देनदारियों को पूरा करने के लिए (₹ 71.34 करोड़)।
- (ii) कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों (सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना घटकों के लिए सामान्य, विशेष घटक आयोजना) और प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए (₹ 40.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत, संघ शासित राज्य सरकार को, लंबित

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the expenditure for releasing Central Share to State Societies under the Scheme of Skill Development Mission in Grants-in-aid General (General, Special Component Plan for Scheduled Caste and Tribal Area Sub-Plan Components) (₹ 1.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) meeting the expenditure for Grants-in-aid General (General, Special Component Plan for Scheduled Caste and Tribal Area Sub-Plan Components) (₹ 71.34 crore).

- (ii) meeting the expenditure for Grants for creation of Capital Assets (General, Special Component Plan for Scheduled Caste and Tribal Area Sub-Plan Components) and meeting committed liabilities under the scheme of Skill Development Mission (₹ 40.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) meeting the expenditure for release of funds to UT Government

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

हुण्डियों के भुगतान के लिए दी जाने वाली राशि के व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य, एससीएसपी और टीएसपी घटक) (₹ 1.50 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

towards payment of pending bills under the scheme of Skill Development Mission Grants-in-aid General (General, Special Component Plan for Scheduled Caste and Tribal Area Sub-Plan Components) (₹ 1.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 66

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3693.48	8.80	3702.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3693.49	8.80	3702.29
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन और भत्ते के भुगतान के व्यय को पूरा करने के लिए "सहायता अनुदान वेतन" के वस्तु शीर्ष के तहत महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान के लिए (₹ 2.74 करोड़) और "कौयर बोर्ड" (₹ 11.38 करोड़) की अतिरिक्त सहायता। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।

The supplementary grant is required for:

additional requirement for "Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization" (₹ 2.74 crore) and "Coir Board" (₹ 11.38 crore) under the object head "Grants-in-Aid Salaries" to meet expenditure on payment of Pay and Allowances. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 68

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3614.01	120.00	3734.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3614.05	120.00	3734.05
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted: 0.01	(का) ...	0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01	(खb) ...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01	(गc) ...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01	(घd) ...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.04	...	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में निःशुल्क कोचिंग स्कीम और संबद्ध स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 20.00 करोड़)।
- (ii) इस वर्ष के दौरान मैरिट-कम मिन्स छात्रवृत्ति के नवीकरण के साथ ही नई छात्रवृत्तियों के लिए धन की अतिरिक्त जरूरत पूरा करने के तौर पर सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15.00 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर, मंत्रालय द्वारा ब्रांडेड "सीखो और कमाओ" स्कीम के तहत अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहला की स्कीमों के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 31.50 करोड़)।
- (ii) अल्पसंख्यकों के लिए नई स्कीम के तहत कौशल विकास पहलों की स्कीम के तहत परंपरागत कला/शिल्प के विकास कौशल के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण (यूएसटीडीएडी) हेतु व्यय पूरा करना (₹ 11.20 करोड़)।
- (iii) भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत के अनुरक्षण संबंधी

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Meeting the additional requirement of funds under the scheme of Free Coaching and Allied Scheme as Grants-in-aid General (₹ 20.00 Crore).
- (ii) Meeting the additional requirement of funds for renewal of Merit-cum-Means scholarship as well as towards new scholarships during this year as Grants-in-aid General (₹ 15.00 Crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting the additional requirement of funds under the schemes of Skill Development Initiatives for minorities 'Seekho Aur Kamao' as Grants-in-aid General (₹ 31.50 crore)
- (ii) Meeting the additional requirement of funds under new scheme for Upgrading the Skill and Training of Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD) (₹ 11.20 crore)
- (iii) Meeting the expenditure under the new scheme "Hamari

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	स्कीम के तहत हमारी धरोहर स्कीम हेतु व्यय पूरा करना (₹ 9.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।		Dharohar" to preserve rich heritages of minorities communities of India (₹ 9.00 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) कौशल विकास पहल स्कीम के तहत अतिरिक्त धन की जरूरत पूरी करना, इस राशि में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में बाढ़ राहत पैकेज के जम्मू-कश्मीर के "सीखो और कमाओ" घटक के तहत अपेक्षित धन शामिल है। (₹ 3.50 करोड़)।	(c)	(i) Meeting the expenditure for additional requirement of funds under the schemes of Skill Development Initiatives, the amount includes the funds required under "Seekho Aur Kamao" component of Jammu & Kashmir for flood Relief Package as Grants-in-aid General (₹ 3.50 crore).
	(ii) परंपरागत कला/शिल्प के विकास हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (यूएसटीटीएडी) हेतु व्यय पूरा करना (₹ 1.30 करोड़)।		(ii) Meeting the expenditure for Upgrading the Skill and Training of Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD) (₹ 1.30 crore).
	(iii) हमारी धरोहर स्कीम के लिए व्यय पूरा करना (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।		(iii) Meeting the expenditure for Hamari Dharohar Scheme (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों हेतु मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए लगभग 11 राज्यों की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना, जिसमें राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के सामान्य कल्याण के लिए स्कीम के तहत प्रतिवर्ष वृद्धि होती है (₹ 30.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(d)	Meeting the expenditure for additional requirement of funds from almost 11 States towards renewal of scholarship as well as scheme of new scholarship under Pre-Matric scholarship Scheme for Minorities during the year, which is increasing every year under the schemes for General Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities as Grants-in-aid to State Government (₹ 30.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 69
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2439.39	95.00	2534.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	323.00	200.00	523.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2762.39	295.00	3057.39
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Energy	Voted: 323.00 (का)	...	323.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4810 - Capital Outlay on New and Renewable Energy	Voted: 200.00 (खब)	...	200.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 523.00	...	523.00
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810 - New and Renewable Energy	(-) 323.00	...	(-) 323.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
4810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4810 - Capital Outlay on New and Renewable Energy	(-) 200.00	...	(-) 200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) ग्रिड संबंधित पवन ऊर्जा परियोजनाएं के लिए जनरेशन आधारित इन्सेन्टिव हेतु, ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय पावर ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय पावर ग्रिड वापर सब्सिडी के तहत पवन ऊर्जा सब्सिडी के निर्गमन के लिए ₹ 299.00 करोड़।
- (ii) निवेश प्रोत्साहन अंशदान सहित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और अंतराष्ट्रीय सहयोग संबंधों को सहयोग प्रदान करने के लिए भारत का "पेस सैटर

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) releasing of Wind Power Subsidy of ₹ 299.00 crore under the Grid interactive and Distributed Renewable Power-Grid interactive Renewable Power-Wind Power-Subsidy for Generation based Incentive (GBI) for grid connected wind power projects.
- (ii) releasing the balance amount towards India's matching contribution to the "PACEsetter Fund" for Supporting

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>फण्ड" को समान अंशदान की बकाया राशि को प्रदान करने के लिए ₹ 24 करोड़।</p>	<p>Programmes-International Relations-International Cooperation including investment promotion-Contributions (₹ 24.00 crore).</p>
<p>क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से व्यय को पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical Supplementary is sought.</p>
<p>(ख) एनसीईएफ के तहत लोक क्षेत्र और अन्य उपक्रम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) को व्यवहार्य नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं को उधार के लिए (₹ 200 करोड़) में निवेश।</p>	<p>(b) investment in Public Sector and other undertakings- Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) to on lend to viable Renewable Energy (RE) projects under NCEF (₹ 200.00 crore)</p>
<p>क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से व्यय को पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a technical supplementary is sought.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 70

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	133.98	15.00	148.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	5.00	5.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	133.98	20.00	153.98
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	5.00	5.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली के निर्माण के लिए राष्ट्रीय बिल्डिंग निर्माण निगम (एनबीसीसी) को भुगतान।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

payment to National Building Construction Corporation (NBCC) for construction of Pravasi Bhartiya Kendra, New Delhi.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	2.50	3.00	5.50
	स्वीकृत:	Voted:	941.99	122.92	1064.91
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	944.50	125.92	1070.42	
	भारित:	Charged:	2.50	3.00	5.50
	स्वीकृत:	Voted:	942.00	122.92	1064.92
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2070 - अनय प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए ₹ 5.00 करोड़ की पूँजीगत आस्तियों का सृजन।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Creation of Capital Assets of ₹ 5.00 crore for Indian Institute of Public Administration.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 75
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	63542.00	1.00	63543.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	63542.01	1.00	63543.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत: 2802 -Petroleum	Voted: 0.01 (का)	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) आन्ध्र प्रदेश में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की स्थापना (₹ 1.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

(a) setting up a Petroleum University in Andhra Pradesh (₹ 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 76

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1828.36	778.50	2606.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	7.99	7.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1828.36	786.49	2614.85
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: 7.99	...	7.99

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

‘पादप किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार प्राधिकरण’ (पीपीवी एंड एफआरए) द्वारा निर्मित बिल्डिंग में राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकार (एनआरएए) के कार्यालय के लिए ‘आयोजना प्राधिकरण भवन’ के उपर दो अतिरिक्त तलों के निर्माण का व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा

The supplementary grant is required for:

meeting the expenditure towards construction of two additional floors over ‘Plan Authority Bhavan’ for accommodating the office of the ‘National Rainfed Area Authority (NRAA) in building being constructed by ‘Protection of Plant Varieties and Farmers Right Authority’ (PPV&FRA).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 77

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	7738.30	2986.50	10724.80
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount			
पूरक अनुमान:	now required:			
स्वीकृत:	Voted:	398.01	...	398.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8136.31	2986.50	11122.81
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: 398.00 (का)	0.01 (खb)	398.01
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2801 - विद्युत	2801 - Power	(-) 199.00	...	(-) 199.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) लोक लेखा में रखी विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) को ₹ 199 करोड़ की राशि का अंतरण और पारेषण अवसंरचना के मौजूदा वितरण को मजबूत करने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 199 करोड़ की राशि प्रदान करना। आंतरिक बचत, अतिरिक्त वसूली और अतिरिक्त प्राप्ति के मद्देनजर, इस पूरक में नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) "प्रौद्योगिकी नियंत्रण योजना और निगरानी" स्कीम के तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को वेतन राशि प्रदान करने के लिए (₹ 4.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

(a) transferring an amount of ₹ 199 crore to Power System Development Fund (PSDF) kept in Public Account and releasing an amount of ₹ 199 crore towards meeting the expenditure on strengthening of existing distribution of transmission infrastructure. Taking into account the internal saving, additional recovery and additional receipts, this supplementary will not entail cash outgo.

(b) providing funds for salary to Central Electricity Authority under scheme "Technical Control Planning and Monitoring" (₹ 4.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 83
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	56.00	56.00
	स्वीकृत:	Voted: 19603.37	37436.27	57039.64
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount			
पूरक अनुमान:	now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 500.01	...	500.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	20103.38	37492.27	57595.65
	भारित:	Charged: ...	56.00	56.00
	स्वीकृत:	Voted: 20103.38	37436.27	57539.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted: ...	500.00 (का)	500.00
3055 - सड़क परिवहन	स्वीकृत: 3055 -Road Transport	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	500.00	500.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु (₹ 500.00 करोड़)

उपरोक्त व्यय में नकद देना होगा।

(ख) मोटरगाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र के राज्य और राष्ट्रीय रजिस्टर बनाना। (₹ 7.68 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) additional expenditure towards maintenance of National Highways (₹ 500.00 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

(b) creation of State and National Register of Driving License and Registration Certificate of Motor Vehicle (₹ 7.68 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 88

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1517.21	...	1517.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1517.22	...	1517.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त व्यय हेतु (i) "अनुसंधान और विकास-कृषि जैव प्रौद्योगिकी और संबंधी क्षेत्रों" को सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14 करोड़); (ii) "अनुसंधान और विकास-मौलिक अनुसंधान और उभरते क्षेत्र" की सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7 करोड़) और (iii) जैव प्रौद्योगिकी सुविधाओं के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Meeting additional expenditure on (i) Grants-in-aid General (₹ 14 crore) for assistance for "Research & Development-Agricultural Biotechnology and Allied Areas"; (ii) Grants-in-aid General (₹ 7 crore) for assistance for "Research & Development—Basic Research and Emerging Areas" and (iii) Grants-in-aid general (₹ 4 crore) for Biotech facilities.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 89

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1258.66	516.08	1774.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1258.67	516.09	1774.76
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सचिवालय आर्थिक सेवाओं (₹ 3.00 करोड़) के तहत व्यावसायिक सेवाएँ।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) "चेन्नई बन्दरगाह न्यास" में तटीय सुरक्षा कार्य (₹ 15.00 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) professional services under Secretariat Economic Services (₹ 3.00 crore) for appointment of Arbitrator.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) "Coastal Protection Work in Chennai Port Trust" (₹ 15.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 90

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5750.74	462.00	6212.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	200.00	200.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5750.74	662.00	6412.74
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted: 200.00	...	200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुसूचित जाति के युवाओं और नए उद्यमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन (₹ 200 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

implementation of Credit Enhancement Guarantee Scheme for Young and Start-up Entrepreneurs belonging to Scheduled Castes (₹ 200 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 92

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	Voted: 3583.56	3653.58	7237.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3584.08	3653.98	7238.06
	भारित:	Charged: 0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	Voted: 3583.58	3653.58	7237.16

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	स्वीकृत: 3402 -Space Research	Voted: 0.01 (क) (क)	0.01 (ख) (ख)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए (i)सेमी कन्डक्टर प्रयोगशाला के लिए सामान्य सहायक अनुदान (₹ 6.67 करोड़) और पूंजी परिसंपत्ति के सर्जन के लिए अनुदान (₹ 2.71 करोड़) और (ii)भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता अनुदान के रूप में (₹ 1 करोड़) ताकि अपूर्ण वायदों को पूरा कर सकें।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) 4 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान जिसमें (i)सेमी कन्डक्टर प्रयोगशाला (₹ 1.13 करोड़), (ii)भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 1.50 करोड़), (iii)नार्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर (₹ 1 करोड़) और (iv)नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लेबोरेट्री (₹ 1.40 करोड़)ताकि वर्ष 2014-15 में अतिरिक्त श्रमशक्ति की नियुक्ति और मंहगाई भत्ता शेष की अतिरिक्त जरूरत को पूरी की जा सके।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

(a) meeting the additional expenditure on (i) Semi-conductor Laboratory towards Grants-in-aid general (₹ 6.67 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 2.71 crore) and (ii) Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 1 crore) as Grants-in-aid General in order to liquidate the spill over commitments.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid Salary to the 4 autonomous bodies viz. (i) Semi-conductor Laboratory (₹ 1.13 crore), (ii) Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 1.50 crore), (iii) North Eastern Space Applications Centre (₹ 1 crore) and (iv) National Atmospheric Research Laboratory (₹ 1.40 crore) to meet the additional requirement of arrears of Dearness Allowances and recruitment of additional manpower during 2014-15.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 95

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	35.34	35.34
	स्वीकृत:	Voted: 5547.70	114.39	5662.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 20.51	...	20.51
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5568.24	149.73	5717.97
	भारित:	Charged: 20.51	35.34	55.85
	स्वीकृत:	Voted: 5547.73	114.39	5662.12
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- निम्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 0.01 (क)a	0.01 (ख)b	0.02
2852 - उद्योग	भारित: 2852 - Industries	Charged: ...	20.51 (ग)c	20.51
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: ...	0.01 (घ)d	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	20.53	20.54
	भारित:	Charged: ...	20.51	20.51
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	0.02	0.03

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

(क)	(i)	नई स्कीम "ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर और क्राफ्ट म्युजियम" को (₹ 8.00 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान।	(a)	(i)	New Scheme "Trade Facilitation Centre and Craft Museum" (₹ 8.00 crore) as Grant-in-aid-general.
	(ii)	नई स्कीम "ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर और क्राफ्ट म्युजियम" को तहत पूंजी सम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायक अनुदान (₹ 12.00 करोड़)		(ii)	New Scheme "Trade Facilitation Centre and Craft Museum" (₹ 12.00 crore) as Grant-in-aid for creation of Capital Assets.
	(iii)	नई स्कीम "ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर और क्राफ्ट म्युजियम" के तहत अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए (₹ 0.50 करोड़)।		(iii)	New Scheme "Trade Facilitation Centre and Craft Museum" (₹ 0.50 crore) for Other Administrative Expenses.
	(iv)	नई स्कीम "ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर और क्राफ्ट म्युजियम" के तहत पेशेवर सेवाओं के लिए (₹ 2.50 करोड़)।		(iv)	New Scheme "Trade Facilitation Centre and Craft Museum" (₹ 2.50 crore) for Professional Services.
	(v)	नई स्कीम "ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर और क्राफ्ट म्युजियम" के तहत विज्ञापन और प्रचार के लिए (₹ 0.50 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान।		(v)	New Scheme "Trade Facilitation Centre and Craft Museum" (₹ 0.50 crore) for Advertisement and Publicity.
	(vi)	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के लिए (₹ 3.33 करोड़) की सामान्य सहायता अनुदान की जरूरत है।		(vi)	Catalytic Development Programme (₹ 3.33 crore) as Grant-in-aid General.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | |
|--|--|
| <p>(vii) उत्तप्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए (Rs 2.20 करोड़) की सहायता अनुदान।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ख) भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान, भदोही के शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग श्रेणी को लागू करने के लिए बजटीय सहायता के रूप में सहायता अनुदान वेतन के लिए (₹ 3.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित हैं।</p> <p>(ग) माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, नई भोपाल कपड़ा मिल्स, भोपाल के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इंडिया, भोपाल को भुगतान के लिए आयुक्त को, जारी सीएफआई अग्रिम का रिकूपमेंट। (₹ 20.51 करोड़)। अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में समान राशि में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद राशि नहीं देनी होगी।</p> <p>(घ) पहले की जमा स्टॉक के हथकरघा वस्त्र के मूल्य की 10% विशेष छूट की प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.52 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में समान उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांग अपेक्षित है।</p> | <p>(vii) Catalytic Development Programme (₹ 2.20 crore) as Grant-in-aid for creation of capital Asset.
Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) As Grant-in-aid-salaries as budget support for implementation of 6th Central Pay Commission Scale for teaching and non-teaching staff of Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi (₹ 3.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) For recoupment of CFI Advance (₹ 20.51 crore) released to Commissioner of Payment to pay to State Bank of India, Bhopal relating to New Bhopal Textile Mills, Bhopal in compliance of the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh (seat Jabalpur) order. Taking into account the surrender of savings of the equivalent amount available in the revenue voted section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> <p>(d) As Grant-in-aid-general to set off the Committed liability of erstwhile scheme of Special Rebate of 10% of the Value of Handloom Cloth out of accumulated stock (₹ 9.52 crore). As matching savings are available under same Section of grant a Token Supplementary is sought.</p> |
|--|--|

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 98

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01	
	स्वीकृत:	Voted:	3046.77	566.60	3613.37	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:	Voted:	85.96	0.01	85.97	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3132.74	566.61	3699.35	
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01	
	स्वीकृत:	Voted:	3132.73	566.61	3699.34	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	0.01 (का)	...	0.01	
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted:	...	85.95 (खb)	85.95	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	85.95	85.96	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs					
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4851 - Capital Outlay on Village and Small Industries	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	85.95	85.97	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	नए आरंभ किए गए कॉलेजों (एनएनसीओएल) के व्यय पूरे करना (₹ 0.25 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(a)	meeting the expenditure for newly started college (ANCOL) (₹ 0.25 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	बिजली उत्पादन के लिए एचएसडी की खरीद का व्यय पूरा करने के लिए (₹ 85.95 करोड़) अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपयुक्त व्यय में कोई नकद नहीं देना होगा।	(b)	meeting the expenditure towards purchase of HSD for power generation. (₹ 85.95 crore) Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्रालय की सूक्ष्म और लघु उद्योग क्रेडिट गारंटी निधि के कार्यान्वयन हेतु संघ शासित राज्यों के हिस्सा के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 5.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(c)	meeting the additional expenditure towards UTs share for implementation of Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises of Ministry of MSME (₹ 5.00 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 102

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 देखिये)

(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	837.74	227.90	1065.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.05	...	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	837.79	227.90	1065.69
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted: ...	0.01 (ख)	0.01
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत: 2230 -Labour and Employment	Voted: ...	0.01 (ग)	0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: ...	0.01 (घ)	0.01
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Programmes	Voted: ...	0.01 (ङ)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	0.05	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) पंचायती राज संस्थानों के तहत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को वेतन व भत्तों के लिए वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 4.80 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ख) पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत कला और संस्कृति विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों व एमएसीपी के बकाया के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.46 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ग) पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत रोजगार और प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारियों को टंकण संस्थान चलाने व अनुरक्षण और वेतन व भत्तों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.21 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(घ) महिला और बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत एलएसएसडब्ल्यूबी के कर्मचारियों के वेतन व भत्ते के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 0.65 करोड़)।</p> | <p>(a) Meeting additional expenditure for pay and allowances of employees of Dept. of Education working under PRIs (₹ 4.80 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) Meeting additional expenditure for pay and allowances and payment of MACP arrears of employees of Dept. of Art & Culture working under PRIs (₹ 0.46 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) Meeting additional expenditure for running and maintenance of Typewriting Institutes and pay and allowances of dept. of Employment of training working under PRIs (₹ 0.21 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(d) Meeting additional expenditure for pay and allowances of employees of LSSWB functioning under Dept. of Women and Child Development.(₹ 0.65 crore)</p> |
|---|---|

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ड) पंचायती राज संस्थानों के तहत पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को वेतन व भत्ते की जरूरत पूरा करना (₹ 1.25 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(e) Meeting additional expenditure for pay and allowances of employees of Dept. of Panchayat working under PRIs (₹ 1.25 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
---	---

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 103

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 131 देखिये)

(See page 131 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 61.80	107.00	168.80
	स्वीकृत:	Voted: 8633.60	8826.20	17459.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 2.37	41.50	43.87
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	0.02	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8697.80	8974.72	17672.52
	भारित:	Charged: 64.17	148.50	212.67
	स्वीकृत:	Voted: 8633.63	8826.22	17459.85
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216 - आवास	भारित: 2216 - Housing	Charged: ...	2.37 (का)	2.37
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.03	2.37	2.40
	भारित:	Charged: ...	2.37	2.37
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted: ...	0.01 (डेe)	0.01
4217 - शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4217 - Capital Outlay on Urban Development	Voted: 0.01 (चf)	...	0.01
7601 - राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	भारित: 7601 - Loans and Advances to State Governments	Charged: 41.50 (छg)	...	41.50
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	41.51	0.01	41.52
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	41.54	2.38	43.92
	भारित:	Charged: 41.50	2.37	43.87
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	0.01	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

(क) (i) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.07 करोड़), (ii) गौण निर्माण कार्य (₹ 1.65 करोड़) (a) meeting additional requirement (₹ 2.37 crore) for (i) Other

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>करोड़) और (iii) किराया, दरों और करों (₹ 0.65 करोड़) का अतिरिक्त व्यय (₹ 2.37 करोड़) पूरा करना। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।</p>	<p>Administrative Expenses (₹ 0.07 crore), (ii) Minor Works (₹ 1.65 crore) and (iii) Rent, Rates & Taxes (₹ 0.65 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>
<p>(ख) पेशेवर सेवाओं, विधानमंडल रहित संघ शासित राज्यों में स्कीम हेतु व्यय सहित सामान्य सहायता अनुदान आदि सहित स्वच्छ भारत मिशन (सूचना, शिक्षा और संप्रेषण) घटक (₹ 130.25 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(b) Swachh Bharat Mission (Information, Education and Communication components) involving Professional Services, Grants-in-Aid General etc. including expenditure for the scheme in UTs without legislature (₹ 130.25 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) संघ शासित सरकारों को अंतरण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (₹ 1970.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(c) Swachh Bharat Mission for transfer to State Governments (₹ 1970.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(घ) संघ शासित सरकारों को अंतरण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (₹ 100.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(d) Swachh Bharat Mission for transfer to UT Governments (₹ 100.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ङ) (i) लेखापरीक्षा (₹ 15.00 करोड़) और (ii) वित्त (राजस्व) (₹ 25.00 करोड़) के संबंध में रिहायशी आवास के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(e) meeting additional expenditure for construction of residential accommodation in respect of (i) Audit (₹ 15.00 crore) and (ii) Finance (Revenue) (₹ 25.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(च) (i) बंगलोर मेट्रो- ₹ 424.00 करोड़, (ii) कोच्चि मेट्रो- ₹ 78.82 करोड़ और (iii) नागपुर मेट्रो- ₹ 10.00 करोड़ को इक्विटी सहायता उपलब्ध कराना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>(f) providing Equity to (i) Bangalore Metro (₹ 424.00 crore), (ii) Kochi Metro (₹ 78.82 crore) and (iii) Nagpur Metro (₹ 10.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(छ) पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी परियोजना स्कीम के तहत राज्य सरकारों का ऋण व अग्रिम (₹ 41.50 करोड़)। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।</p>	<p>(g) Loans and Advances to the State Government (₹ 41.50 crore) under the scheme of North Eastern Region Urban Development Project. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 104

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 132 देखिये)

(See page 132 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	1.03	1.00	2.03
	स्वीकृत:	Voted:	1513.67	832.32	2345.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	90.00	0.01	90.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1604.70	833.33	2438.03	
	भारित:	Charged:	1.03	1.00	2.03
	स्वीकृत:	Voted:	1603.67	832.33	2436.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत:	2059 -Public Works	Voted:	...	90.00 (का) 90.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	0.01 (खb) 0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	...	90.01 90.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) विद्युत और जल प्रभार आदि के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹ 90 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) लेखा परीक्षा (₹ 12 करोड़), वित्त (राजस्व)(₹ 40 करोड़) और कर्मिक जन शिकायत एवं पेंशन (₹ 8 करोड़) के संबंध में कार्यालयी बिल्डिंग के निर्माण की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) for meeting the additional requirement for payment of electricity and water charges, etc. (₹ 90 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) For meeting the additional requirement for construction of office buildings in respect of Audit (₹ 12 crore), Finance (Revenue) (₹ 40 crore) and Personnel Public Grievances & Pension (₹ 8 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 105

लेखन सामग्री और मुद्रण

STATIONERY AND PRINTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 133 देखिये)

(See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	277.98	1.15	279.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	0.13	...	0.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	278.11	1.15	279.26
भारित:	Charged:	0.13	...	0.13
स्वीकृत:	Voted:	277.98	1.15	279.13

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2058 - लेखन सामग्री और मुद्रण	भारित: 2058 - Stationery and Printing	Charged: ...	0.13	0.13

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मेसर्स श्री कृष्णा पेपर मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. के पक्ष में मध्यस्थता अवार्ड को पूरा करने हेतु (₹ 0.13 करोड़)।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting the Arbitration Award in favour of M/s. Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd. as per orders of Hon. Court (₹ 0.13 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 106

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 134 देखिये)

(See page 134 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	...	4.00
	स्वीकृत:	Voted:	15143.11	228.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			15371.74
	भारित:	Charged:	13.26	...
	स्वीकृत:	Voted:	0.03	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15156.40	232.63	15389.03
	भारित:	Charged:	13.26	4.00
	स्वीकृत:	Voted:	15143.14	228.63
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- निम्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत: 3435 -Ecology and Environment	Voted:	0.01 (क)...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (ख)...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	भारित: 3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	Charged:	13.26 (ग)...	13.26
	स्वीकृत:	Voted:	0.01 (घ)...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	13.29	...	13.29
	भारित:	Charged:	13.26	...
	स्वीकृत:	Voted:	0.03	...

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण'(ईएपी) के तहत ₹ 168.00 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों का सृजन और ₹ 5.00 करोड़ की सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण'(ईएपी) के तहत ₹ 110.00 करोड़ और राज्यों (हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश) को प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोजना'(गैर-ईएपी) के तहत Rs 17.00 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों का सृजन।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) creation of Capital Assets of ₹ 168.00 crore and Grants-in-aid General of ₹ 5.00 crore under 'National Ganga River Basin Authority'(EAP component).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants for creation of Capital Assets of ₹ 110.00 crore under 'National Ganga River Basin Authority'(EAP component) and Rs 17.00 crore under 'National River Conservation Plan'(Non-EAP component) for release to States (Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | |
|---|--|
| <p>(ग) 'नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य' केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत पुडुचैरी सरकार को भुगतान के प्रयोजन से भारत की समेकित निधि से स्वीकृत ₹ 13.26 करोड़ के अग्रिम का रिकूपमेंट।</p> <p>अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।</p> | <p>(c) recoupment of an advance of ₹ 13.26 crore sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose of payment to the Government of Puducherry under the central sector scheme 'River Management Activities and Works related to Border Areas'.</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;</p> |
| <p>(घ) 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोजना' (ईएपी) स्कीम के तहत ₹ 72.00 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान और ₹ 8.00 करोड़ का सामान्य सहायता अनुदान।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> | <p>(d) grant for creation of Capital Assets of ₹ 72.00 crore and Grants-in-aid General of ₹ 8.00 crore under the Plan Scheme 'National River Conservation Plan'(EAP component).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 107

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 135 देखिये)

(See page 135 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	21193.88	...	21193.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	21193.91	...	21193.91
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) (i) राष्ट्रीय महिला आयोग (आयोजना):- राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यालयी इमारत के जारी निर्माण को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन (2235.02.103.35.00.35) (आयोजना) के लिए ₹ 5.85 करोड़ की अतिरिक्त राशि और नई बिल्डिंग में संबंधित फिटिंग, फिक्सचर और फर्निशिंग के लिए शीर्ष 2235.02.103.35.00.31 के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 3.23 करोड़ की राशि अपेक्षित है।</p> <p>(ii) लिंग आधारित बजटिंग (आयोजना):-शीर्ष 2235.02.103.58.00.31(आयोजना) के तहत लिंग आधारित बजटिंग स्कीम के प्रशिक्षण घटक के लिए ₹ 0.22 करोड़ अपेक्षित है।</p> <p>(iii) बेटी बचाओ और पढ़ाओ :- वर्तमान वर्ष के दौरान अनुमोदित बेटी बचाओ और पढ़ाओ स्कीम के साथ लड़की की देखभाल व सुरक्षा स्कीम के को मर्ज किया गया है। अतः लड़की की देखभाल और सुरक्षण से बेटी बचाओ और पढ़ाओ स्कीम तक शीर्ष 2235.02.102.41.00.31(आयोजना)के तहत ₹ 13.50 करोड़ की राशि पुनः विनियोग किया जाएगा।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p> <p>(ख) (i) एनआईपीसीसीडी (गैर-आयोजना):- राष्ट्रीय जन सहकारिता और बाल</p> | <p>(a) (i) National Commission for Women (Plan) :- Supplementary Grant for an additional amount of ₹ 5.85 crore are required for Creation of Capital Assets (2235.02.103.35.00.35) (Plan) for completion of ongoing construction of office building of NCW and ₹ 3.23 crore are required for Grant in Aid General (Plan) under the Head 2235.02.103.35.00.31 for related fitting, fixture and furnishing in the new building.</p> <p>(ii) Gender Budgeting (Plan) :- ₹ 0.22 crores are required for training component of Gender Budgeting Scheme under the Head 2235.02.103.58.00.31 (Plan).</p> <p>(iii) Beti Bachao Beti Padhao :- Care and Protection of Girl Child Scheme has been merged with the approved Scheme Beti Bachao Beti Padhao during the current year. Hence, an amount of ₹ 13.50 crores under the Head 2235.02.102.41.00.31(Plan) will be re-appropriated from Care and Protection of Girl Child to Beti Bachao Beti Padhao Scheme.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) (i) NIPCCD(Non Plan) :- An additional amount of ₹ 2.80 crores</p> |
|--|--|

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	<p>विकास संस्थान की प्रतिबद्ध देयताओं के लिए शीर्ष 2235.02.102.17.01.36 के तहत वेतन सहायता अनुदान(गैर आयोजना) के तहत ₹ 2.80 करोड़ की अतिरिक्त राशि और शीर्ष 2235.02.102.17.01.31 के तहत सामान्य सहायता अनुदान (गैर आयोजना) के तहत ₹ 1.80 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।</p>
<p>(ii) सीएसडब्ल्यूबी (गैर आयोजना):- पेंशनरी लाभों के भुगतान के लिए शीर्ष 2235.02.103.42.01.31 के तहत ₹ 3.00 करोड़ और प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए शीर्ष 2235.02.103.42.01.36 के तहत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (एनपी) हेतु ₹ 0.25 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।</p>	<p>(ii) CSWB(Non Plan) :- An additional amount of ₹ 3.00 crores is required for Grants In Aid General (NP) under the Head 2235.02.103.42.01.31 for payment of pensionary benefits and ₹ 0.25 crore is required for Grant in Aid Salaries (NP) under Central Social Welfare Board Scheme under the Head 2235.02.103.42.01.36 for committed liabilities.</p>
<p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) (i) लिंग आधारित बजटिंग (आयोजना):- शीर्ष 2552.00.125.14.00.31 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए लिंग आधारित बजट स्कीम (आयोजना) के प्रशिक्षण घटक के तहत ₹ 0.08 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।</p>	<p>(c) (i) Gender Budgeting (Plan) :- An additional amount of ₹ 0.08 crores are required under Training component of Gender Budget Scheme (Plan) for NE Region under the Head 2552.00.125.14.00.31.</p>
<p>(ii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (आयोजना):- वर्तमान वर्ष के दौरान लड़की की देखभाल और सुरक्षा स्कीम को अनुमोदित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ स्कीम के साथ आमेलित किया गया। अतः लड़की की देखभाल और सुरक्षा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता अनुदान शीर्ष (2552.00.124.15.00.31)(आयोजना) के तहत ₹ 1.50 करोड़ की राशि का पुनः विनियोग किया जाएगा।</p>	<p>(ii) Beti Bachao Beti Padhao(Plan) :- Care and Protection of Girl Child Scheme has been merged with the approved Scheme Beti Bachao Beti Padhao during the current year. Hence, an amount of ₹ 1.50 crore under the Head Grant in Aid to NE States (2552.00.124.15.00.31) (Plan) will be re-appropriated from Care and Protection of Girl Child to Beti Bachao Beti Padhao Scheme.</p>
<p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO. 108

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 136 देखिये)

(See page 136 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1768.10	0.90	1769.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1768.14	0.90	1769.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत: 2204 -Sports and Youth Services	Voted: 0.01 (क)	0.01 (ख)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (ग)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (घ)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	0.01	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान द्वारा सामान्य कार्यक्रम गतिविधियों को चलाने के लिए ₹ 1.70 करोड़ की अंशदान की राशि प्रदान करने, अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान। (ii) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम के तहत जवाहर पर्वतारोहण और हिमालयन संस्थान के सभी मान्यता प्राप्त भारतीय स्तर/राज्य स्तर में युवा संस्थानों को युवा कार्यक्रम गतिविधियों राष्ट्रीय युवा उत्सव, प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी)-2015 इत्यादि के आयोजन के लिए ₹ 5.23 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। (iii) नेहरू युवा केंद्र संगठन स्कीम के तहत ₹ 17.55 करोड़ (क) स्टाफ को वेतन के भुगतान हेतु (₹ 7.00 करोड़) (ख) कार्यक्रम गतिविधियों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.55 करोड़)(iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारिरिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर में लड़कों व लड़कियों के लिए हॉस्टलों के निर्माण हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में ₹ 10.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। (v) राष्ट्रीय खेल परिषद को राष्ट्रीय टीमों को भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक केन्द्रों में खिलाड़ियों को दिए जा रहे आहार प्रभारों में बढ़ोतरी खातापूरक और कोचिंग शिवरों की सहायता स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 10.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। (vi) 2014 में राष्ट्रीयमंडल खेल व एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को छूट गए थे, को नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए विशेष नकद पुरस्कार स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 10.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। (vii) डोप किट्स अनुशासनिक पैनल और पैनल सिटिंग प्रभारों की बढ़ी कीमत पूरी करने के लिए नई पहल शुरू करने, कार्यशालाएं आयोजित करने

The supplementary grants are required for:

(a) An additional amount of ₹ 1.70 crore as Grant-in –aid General is required for conducting the General Programme Activities by the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. (ii) An additional amount of ₹ 5.23 crore is required for releasing contributory money to Jawahar Institute of mountaineering & Himalayan Mountaineering Institute, payment to recognized All India Level/State Level Youth Organizations for conducting Youth Programme activities, National Youth Festivals, Pravasi Bharatiya Divas (PBD- 2015) etc. under the Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development. (iii) An additional amount of ₹ 17.55 crore is required under the Scheme of Nehru Yuva Kendra Sangathan for – (a) payment of salary to the staff (₹ 7.00 crore) (b) Grant-in-aid General for programme Activities (₹ 10.55 crore) (iv) An additional amount of ₹ 10.00 crore is required as Grant for creation of Capital Assets for construction of Boys & Girls Hostels at Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior. (v) An additional amount of ₹ 10.00 crore is required as Grant-in-aid General under the scheme of Assistance to National Sport Federations for meeting expenditure on increase in diet charges, food supplement and coaching camps being provided to

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

के लिए राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के तौर पर ₹ 3.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।(viii) देश में कनिष्ठ खेल अकादमियों की स्थापना हेतु प्रस्तावित नई स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 25.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है जैसा उनके बजट भाषण 2014-15 में वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के संगठन में अंतरण के परिणाम: वित्त मंत्रालय द्वारा 15 पदों के पुनरुद्घाटन के कारण (₹ 3.00 करोड़) और कार्यालय व्यय को पूरा करने के व्यय (₹ 3.43 करोड़) के लिए स्टाफ को वेतन के भुगतान के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 6.43 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) (i) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत कार्यक्रम गतिविधियों के आयोजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 5.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। (ii) एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र द्वारा कार्यक्रम गतिविधियों के तहत राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 2.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। (iii) नेहरू युवा केंद्र संगठन स्कीम के तहत कार्यक्रम गतिविधियों के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.95 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।(iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा द्वारा इसके क्षेत्रीय केंद्र, गोवाहाटी द्वारा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु ₹ 20.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (घ) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम गतिविधियां आयोजित करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 27.80 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

the sports persons at the Training Centres of Sports Authority of India for the National Teams. (vi) An additional amount of ₹ 10.00 crore is required as Grant-in-aid general under the Scheme of Special Cash Awards for issuing cash awards to the medal winners in commonwealth Games & Asian Games in 2014 which were left out. (vii) An additional amount of ₹ 3.00 crore is required as Grant-in-aid General under the Scheme of National Anti Doping Agency for launching new initiatives, conducting workshops, to meet increased cost of dope kits, Disciplinary panel and Appeal panel sitting charges. (viii) An additional amount of ₹ 25.00 crore is required as Grant-in-aid General under the New Scheme being proposed for Setting up of Junior Sports Academies in the Country as announced by FM in his Budget Speech 2014-15.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

An additional amount of ₹ 6.43 crore is required as Grant-in-aid General under the Scheme of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development for payment of salary of the staff (₹ 3.00 crore) due to revival of 15 posts by MoF and for meeting Office Expenses (₹ 3.43 crore) consequent upon conversion of the Organization into an Institution of National Importance by the Cabinet.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) An additional amount of ₹ 5.00 crore is required as Grant-in-aid General under the Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development for conducting Programme activities. (ii) An additional amount of ₹ 2.50 crore is required as Grant-in-aid General under the National Service Scheme for conducting Programme activities by NSS Regional Centre. (iii) An additional amount of ₹ 1.95 crore is required as Grant-in-aid General under the Scheme of Nehru Yuva Kendra Sangathan for programme activities. (iv) An additional amount of ₹ 20.00 crore is required for creation of Capital Assets by Lakshmibai National Institute of Physical Education at its regional Centre, Guwahati .

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

An additional amount of ₹ 27.80 crore is required as Grant-in-aid General under National Service Scheme for conducting Programme activities in various States.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध

वर्ष 2013-14 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	बजट अनुमान 2013-2014	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	डेयरी उद्यमिता विकास	2404	189.90	23.40	स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य कार्यान्वित एजेंसियों की अधिक मांगें।
	पशु और चारा विकास	3601	49.00	6.57	कार्यान्वित स्कीम के लिए विभिन्न राज्यों से ज्यादा मांगें।
	समुद्री मत्स्य पालन, बुनियादी ढांचे और पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास	3601	30.00	19.29	विभिन्न राज्यों से चालू और नए फिशिंग बंदरगाहों के निर्माण के लिए ज्यादा मांगें।
	कुक्कुट-पालन उपक्रम पूंजी निधि	2403	27.00	10.00	स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड की अतिरिक्त मांग।
2.	संस्कृति मंत्रालय	एम एच-2251 सचिवालय 2251.00.090.07.03.12	0.65 (एनपी)	0.50	प्रतिनिधियों के विदेशों में दौरे के लिए
		एम एच-2552 संगीत नाटक अकादमी 2205.00.102.03.01.31	12.99 (एनपी)	4.47	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ी गतिविधियों के लिए
		एम एच-2205 साहित्य अकादमी 2205.00.102.03.02.31	7.15 (पी)	2.00	- प्रकाशन, साहित्य, पुरस्कार, युवा पुरस्कार के लिए
		2205.00.102.03.02.31	0.34 (एनपी)	0.50	- बढ़े हुए किराये, एएमसी खर्च, लेखा शुल्क, टेलीफोन बिलों और डाक टिकट शुल्क के भुगतान के लिए
		एम एच-2205 ललित कला अकादमी, नई दिल्ली 2205.00.102.03.03.35	4.0 (पी)	1.70	- क्षेत्रीय केन्द्रों, आदि के नवीकरण के लिए
		2205.00.102.03.03.31	1.43 (एनपी)	0.50	- बिजली, पानी और टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए
		2205.00.796.29.00.31	0 (पी)	0.65	- जनजातीय उपयोजना के लिए
		एम एच-2205 नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली 2205.00.102.03.04.36	7.23 (एनपी)	2.01	- कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए
		2205.00.102.03.04.31	18.00 (एनपी)	0.50	- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ी गतिविधियों के लिए

ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2013-14.

(Rupees in Crore)

Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates 2013-2014	Amount of Re-appropriation	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Dairy Entrepreneurship Development	2404	189.90	23.40	More demands from various states implementing agencies for implementation of scheme.
	Fodder and Feed Development	3601	49.00	6.57	More demands from various states for implementation of scheme.
	Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operations	3601	30.00	19.29	More demands from various states for construction of ongoing and also new fishing harbors.
	Poultry Venture Capital Fund	2403	27.00	10.00	Additional demand by NABARD for implementation of scheme.
2.	Ministry of Culture	MH 2251 Secretariat 2251.00.090.07.03.12	0.65 (NP)	0.50	For visits of delegations to foreign countries
		MH 2552 Sangeet Natak Akademi 2205.00.102.03.01.31	12.99 (NP)	4.47	For taking up enhanced activities in North Eastern Areas
		MH-2205 Sahitya Akademi 2205.00.102.03.02.31	7.15 (P)	2.00	- For publication, Sahitya Puraskar, Yuva Puraskar
		2205.00.102.03.02.31	0.34 (NP)	0.50	- For payment of increased rent, AMC charges, audit fee telephone bills and postage charges
		MH-2205 Lalit Kala Akademi, New Delhi 2205.00.102.03.03.35	4.00 (P)	1.70	- For renovation of Regional Centres, etc.
		2205.00.102.03.03.31	1.43 (NP)	0.50	- For payment of electricity, water and telephone bills
		2205.00.796.29.00.31	0 (P)	0.65	- For Tribal Sub Plan
		MH-2205 National School of Drama, New Delhi 2205.00.102.03.04.36	7.23 (NP)	2.01	- For payment of Salaries to its employees
		2205.00.102.03.04.31	18.00 (NP)	0.50	- For undertaking enhanced activities in North Eastern Areas

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
		2205.00.796.29.00.31	1.25 (पी)	0.75	- जनजातीय क्षेत्रों में रंगशाला उत्सव और रंगशाला कार्यशाला के लिए
		एम एच-2205 सेन्ट्रल युनिवर्सिटी आफ टीबिटियन स्टडीज			
		2205.00.102.03.05.36	7.25 (एनपी)	3.20	कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए
		एम एच-2205 गांधी स्मृति दर्शन समिति नई दिल्ली			
		2205.00.102.03.09.31	4.20 (पी)	1.17	कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए
		एनएच-2205 हिमालय संस्कृति अध्ययन का केन्द्रीय संस्थान, दाहंग	0.70 (एनपी)	0.62	कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए
		2205.00.102.03.15.36			
		एनएच-2205 शताब्दी-महोत्सव और वर्षगांठ समारोह	10.00 (पी)	6.00	स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती मनाने के लिए
		2205.00.102.04.12.35			
		एनएच-2205 राष्ट्रीय स्मारकों का रख-रखाव	9.00 (पी)	15.00	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय न्यास और इंदिरा गांधी स्मारक न्यास को आधारभूत निधि प्रदान करने के लिए
		2205.00.102.04.13.31			
		एनएच-2205 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	29.12 (पी)	25.00	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को आधारभूत निधि प्रदान करने के लिए
		2205.00.102.04.24.31			
		एनएच-2205 मौलाना अब्दुल कलाम अजाद आफ ऐशियन स्टडीज	0.49 (एनपी)	0.30	कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए
		2205.00.102.04.31.36			
		एनएच-2205 कला क्षेत्र, चैन्नई	1.27 (पी)	1.00	स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कानूनी शुल्क के भुगतान के लिए
		2205.00.102.04.32.31			
		एनएच-2205 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली	0.00 (पी)	1.25	राष्ट्रव्यापी ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठित कलाकारों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए
		2205.00.102.06.02.26			
		एनएच-2205 खुदा बक्श पुस्तकालय	0.44 (एनपी)	0.40	बिजली, पानी और टेलीफोन बिल के भुगतान के लिए
		2205.00.105.02.03.31			
		एनएच-2205 रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर	0.22 (पी)	0.15	कामकाजी अध्येताओं को भुगतान के लिए
		2205.00.105.02.06.36	0.97 (एनपी)	0.48	अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए
		2205.00.105.02.06.36			

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2205.00.796.29.00.31	1.25 (P)	0.75	- For theatre festival and theatre workshop in tribal areas
		MH-2205 Central University of Tibetan Studies			
		2205.00.102.03.05.36	7.25 (NP)	3.20	For payment of salaries to its employees
		MH-2205 Gandhi Smriti Darshan Samiti, New Delhi			
		2205.00.102.03.09.31	4.20 (P)	1.17	For payment of salaries to its employees
		MH-2205 Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahung			
		2205.00.102.03.15.36	0.70 (NP)	0.62	For payment of salaries to its employees
		MH-2205 Centenaries Anniversaries Celebrations			
		2205.00.102.04.12.35	10.00 (P)	6.00	For celebration of 150th birth Anniversary of Swami Vivekananda
		MH-2205 Maintenance of National Memorials			
		2205.00.102.04.13.31	9.00 (P)	15.00	For providing Corpus Fund to Kasturba Gandhi National Turst and Indira Gandhi Memorial Trust
		MH-2205 Indira Gandhi National Centre for the Arts			
		2205.00.102.04.24.31	29.12 (P)	25.00	For providing Corpus Fund to Indira Gandhi National Centre for the Arts.
		MH-2205 Maulana Abdul Kalam Azad Institute of Asian Studies			
		2205.00.102.04.31.36	0.49 (NP)	0.30	For payment of salaries to its employees
		MH-2205 Kalakshetra, Chennai			
		2205.00.102.04.32.31	1.27 (P)	1.00	For payment of stamp duty, Registration Fees, Legal Fees etc.
		MH-2205 National Gallery of Modern Art New Delhi			
		2205.00.102.06.02.26	0.00 (P)	1.25	For holding exhibitions of nationally acclaimed eminent artists.
		MH-2205 Khuda Bakhsh Library			
		2205.00.105.02.03.31	0.44 (NP)	0.40	For payment of electricty, water and telephone bills
		MH-2205 Rampur Raza Library, Rampur			
		2205.00.105.02.06.36	0.22 (P)	0.15	-For payment to working scholars.
		2205.00.105.02.06.36	0.97 (NP)	0.48	-For payment of salaries to its employees

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
	एनएच-2205				
	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	21.50 (एनपी)	11.00	नैमित्तिक कामगारों (अस्थायी तौर पर) को	
	2205.00.106.01.03.02			वेतन और शेष राशि के भुगतान के लिए	
	एनएच-2205				
	भारत पुरातत्व सर्वेक्षण				
	2205.00.106.01.03.20	2.05 (पी)	1.26	- ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन को प्रतिनियुक्ति	
				पर आए पेशावरों के वेतन के लिए	
	2205.00.106.01.03.34	0.25 (पी)	0.10	- छात्रवृत्ति/वजीफे में वृद्धि के कारण	
	एनएच-2205				
	राष्ट्रीय संग्रहालय			पुस्तकालय की किताबों की प्राप्ति, ठेकेदारों	
	2205.00.107.02.03.13	2.00 (पी)	1.00	के बिल, सहायक संग्रहालय और सदस्यों	
				की नियुक्ति जैसे बिलों का भुगतान करने	
				के लिए	
	एनएच-2205				
	सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए				
	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,	0.41(एनपी)	0.30(एनपी)	अपने प्रशिक्षण संस्थान और अतिथिगृह के	
	लखनऊ			रख रखाव और बिजली के बिलों और बढ़ी	
	2205.00.107.03.01.13			हुई कीमत के लिए	
	एनएच-2205				
	सलार जंग संग्रहालय	10.50 (एनपी)	3.82	वेतनों के भुगतान के लिए	
	2205.00.107.04.00.36				
	एनएच-2205				
	इलाहाबाद संग्रहालय				
	2205.00.107.07.00.36	2.16 (एनपी)	0.80	वेतनों के भुगतान के लिए	
	एनएच-2205				
	नेहरू स्मारक संग्रहालय और			नेहरू स्मारक संग्रहालय के उन्नयन और	
	पुस्तकालय			पुस्तकालय और राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति	
	2205.00.107.08.00.31	152.90 (पी)	20.00	के लिए सहायक कर्मचारियों को उपलब्ध	
				कराने के लिए, स्मारणोत्सव गतिविधियां	
				आदि	
	एनएच-2205				
	विज्ञान शहर			विज्ञान शहर, कोलकाता आदि में विज्ञान	
	2205.00.107.19.00.35	0.00 (पी)	2.00	पर्यवेक्षण परियोजना के लिए	
	एनएच-2205				
	संग्रहालय स्कीम			विशेषज्ञ समिति की बैठकों और संबंधित	
	2205.00.107.30.00.20	0.10 (पी)	0.05	व्यय के लिए	
	एनएच-2205				
	आंचलिक संस्कृति केन्द्र	2.50 (पी)	2.10	जनजातीय क्षेत्रों में लोक नृत्य उत्सव और	
	2205.00.796.10.00.31			कार्यशाला आयोजित करने के लिए	
	एनएच-3601				
	शताब्दी-महोत्सव और वर्षगांठ				
	समारोह			स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती मनाने	
	3601.03.201.08.00.31	2.00 (पी)	2.00	हेतु	
	एनएच-4202				
	4202.04.106.01.00.53- मुख्य			राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा	
	शीर्ष	3.00 (पी)	0.93	संयुक्त कला भंडार प्रणाली की अधिप्राप्ति	
				के लिए	

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	MH-2205				
	Archaeological Survey of India	21.50 (NP)		11.00	For payment of wages and arrear to casual workers (with temporary status)
	2205.00.106.01.03.02				
	MH-2205				
	Archaeological Survey of India				-For payment to British Museum, London towards deputation of Museum professionals
	2205.00.106.01.03.20	2.05 (P)		1.26	
	2205.00.106.01.03.34	0.25 (P)		0.10	- Due to increase of Scholarship/ Stipends
	MH-2205				
	National Museum				To make payment of bills such as procurement of library books, contractors bills, engagement of Assistant Curators & Fellows.
	2205.00.107.02.03.13	2.00 (P)		1.00	
	MH 2205				
	National Research Labortory for Conservation of Cultural Property, Lucknow	0.41(NP)		0.30(NP)	For maintenance of its training Institute & guest house and increased cost of electricity bills, horticulture etc.
	2205.00.107.03.01.13				
	MH-2205				
	Salar Jung Museum	10.50 (NP)		3.82	For payment of Salaries
	2205.00.107.04.00.36				
	MH-2205				
	Allahabad Museum				
	2205.00.107.07.00.36	2.16 (NP)		0.80	For payment of Salaries
	MH-2205				
	Nehru Memorial Museum and Library				For portal select works, upgradation of Nehru Memorial Museum & Library and to provide supporting staff for National Implementation Committee, commemoration activities etc.
	2205.00.107.08.00.31	152.90 (P)		20.00	
	MH-2205				
	Science Cities				For Science Exploration Hall, project at Science City, Kolkata
	2205.00.107.19.00.35	0.00 (P)		2.00	
	MH-2205				
	Museum Scheme				For expert Committee meetings and related expenditure
	2205.00.107.30.00.20	0.10 (P)		0.05	
	MH-2205				
	Zonal Culture Centres	2.50 (P)		2.10	To organise folk dance festival and workshop in tribal areas.
	2205.00.796.10.00.31				
	MH-3601				
	Centenaries and Anniversaries Celebrations				For celebration of 150th birth Anniversary of Swami Vivekananda
	3601.03.201.08.00.31	2.00 (P)		2.00	
	MH-4202				
	4202.04.106.01.00.53- Major Works	3.00 (P)		0.93	For procurement of composite art storage system by National Gallary of Modern Art.

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
3.	राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को अंतरण	3601.02.101.41.00.35-चैनई में विलवणीकरण संयंत्र के लिए एसीए (पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान)।	0.0000	226.6871	चैनई के पास 100एमएलडी कैपेसिटी सी वाटर रिवर्स आसमेसिस विलवणीकरण संयंत्र को बनाने के लिए तीसरी किश्त के लिए प्रतिबद्ध निधियों को जारी करना।
		3601.02.101.27.00.31-राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना (सामान्य के लिए सहायता अनुदान)	157.5000	122.0650	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत निधियां सामान्य सहायता अनुदान के तहत बुक कराई जा सकती है।
		3601.02.101.36.01.31-नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, शहरी बुनियादी ढांचे और शासन प्रणाली पर उप-मिशन (सामान्य के लिए सहायता अनुदान)।	150.0000	100.0000	बजट अनुमान 2013-14 के पश्चात अनुमोदित परियोजनाओं/प्रस्तावों के लिए आवश्यक राशि की जरूरत को पूरा करने के लिए।
		3601.02.101.08.00.31-विशेष सहायता केन्द्र (सामान्य के लिए सहायता अनुदान)।	9571.0000	1200.0000	वित्त मंत्री के अंतरिम बजट भाषण 2014-15 (पैरा-44) के तहत, प्रतिबद्ध खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता के लिए।
		3601.02.101.41.00.35-चैनई में विलवणीकरण संयंत्र के लिए (पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान)।	0.0000	172.8769	चैनई के पास 100एमएलडी कैपेसिटी सी वाटर रिवर्स आसमेसिस विलवणीकरण संयंत्र को बनाने के लिए चौथी/अंतिम किश्त के लिए प्रतिबद्ध निधियों को जारी करना।
		3601.02.101.48.00.35-वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए (पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान)।	1000.0000	209.0000	मंत्रिमंडल से यथाअनुमोदित, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को योजना आयोग की सिफारिशों की सीमा के अन्दर धनराशि जारी करने के लिए।
		3601.02.101.12.00.35-विशेष सहायता योजना (पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान)।	6341.0000	165.0000	उत्तराखण्ड राज्य को मौजूदा वर्ष के लिए निम्नानुसार बाढ़/आपदा के कारण दीर्घकालिक पुनिर्माण पैकेज की सीमा तक और इस माध्यम के भाग के रूप में सहायता प्रदान करना।
		3601.01.104.09.00.31-सड़कों और पुलों के रख-रखाव (सामान्य के लिए सहायता अनुदान) के लिए सहायता अनुदान।	5175.0000	155.0000	ब.अ. 2013-14 से परे वित्त आयोग XIII की सिफारिशों के अनुसार राशियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
		3601.01.104.13.00.35-राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान (पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान)।	6723.7500	700.0000	ब.अ. 2013-14 से परे वित्त आयोग XIII की सिफारिशों के अनुसार राशियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
		3601.01.104.14.00.31-राज्य प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए सहायता अनुदान (क्षमता निर्माण सहित (सामान्य सहायता अनुदान)।	5520.1700	578.9200	आपदा के बाद कई राज्यों को निधियां जारी करने के लिए।

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
3.	Transfers & to State and Union Territory Governments	3601.02.101.41.00.35-ACA for Desalination Plant at Chennai (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets)	0.0000	226.6871	For release of committed funds for third instalment for setting up of 100 MLD Capacity Sea Water Reverse Osmosis De-salination Plant at Nemmeli near Chennai.
		3601.02.101.27.00.31-National E-Governance Action Plan (Grant-in-Aid for General)	157.5000	122.0650	As per Department of Information Technology (Deity), funds under ACA release for the year 2013-14 may be booked under Grant-in-Aid for General.
		3601.02.101.36.01.31-Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, Sub-Mission on Urban Infrastructure and Governance (Grant-in-Aid for General)	150.0000	100.0000	To meet requirement of funds for approved projects/proposals beyond BE 2013-14.
		3601.02.101.08.00.31-Special Central Assistance (Grant-in-Aid for General)	9571.0000	1200.0000	To meet the committed expenses of Additional Assistance as per Finance Minister's Interim Budget Speech, 2014-15 (Para-44).
		3601.02.101.41.00.35-ACA for Desalination Plant at Chennai (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets)	0.0000	172.8769	For the release of committed funds for fourth/final instalment for setting up of 100 MLD Capacity Sea Water Reverse Osmosis Desalination Plant at Nemmeli near Chennai.
		3601.02.101.48.00.35-ACA for LWE Affected Districts (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets)	1000.0000	209.0000	To released funds to LWE Affected Districts as approved by Cabinet and to the extent recommended by Planning Commission.
		3601.02.101.12.00.35-Special Plan Assistance (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets)	6341.0000	165.0000	To support the state of Uttarakhand as a part of a medium and to the extent long term reconstruction package for the current year following floods/calamity.
		3601.01.104.09.00.31-Grant-in-Aid for Maintainance of Roads & Bridges [Grant-in-Aid (General)]	5175.0000	155.0000	To meet requirement of funds as per recommendations of FCXIII beyond BE 2013-14.
		3601.01.104.13.00.35-Grant-in-Aid for State Specific Needs (Grant-in-Aid for Creation of Capital Assets)	6723.7500	700.0000	To meet requirement of funds as per recommendations of FCXIII beyond BE 2013-14.
		3601.01.104.14.00.31-Grant-in-Aid for State Disaster Response Fund {SDRF} (including for Capacity Building) [Grant-in-Aid (General)]	5520.1700	578.9200	To release funds to several states following calamity.

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
4.	भारी उद्योग विभाग	2852.08.215.10.00.31 हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (कचार पेपर मिल्स) को अनुदान	0.00	47.23	गेज कन्वर्जन, कच्ची सामग्री के परिवहन के साथ ही सीपीएम से तैयार माल लाने-ले जाने में परेशानी को कम करने की 90 प्रतिशत परिवहन लागत को पूरा करने हेतु अनुदान
		4860.05.190.02.00.54 एनईपीए लिमिटेड में निवेश	0.00	8.10	एनईपीए लिमिटेड में आरएमडीपी के आंशिक कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की इक्विटी के व्यय को पूरा करने के लिए निवेश
		6858.60.190.09.00.55 हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) को ऋण	0.00	47.37	एचसीएल के कर्मचारियों के बकाया वेतन/पारिश्रमिक, सांविधिक देयों के भुगतान के लिए व्यय में बढ़ोतरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
		6858.60.190.19.00.55 हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) को ऋण	0.00	67.51	एचएमटी के कर्मचारियों के बकाया वेतन/पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए व्यय में बढ़ोतरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
		6858.60.190.24.00.55 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (टीएसएल) को ऋण	0.00	1.53	टीएसएल के कर्मचारियों के बकाया वेतन/पारिश्रमिक, सांविधिक देयों के भुगतान के लिए व्यय में बढ़ोतरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
		6858.60.190.25.00.55 तुंगभद्रा स्टील उत्पाद लिमिटेड (टीएसपीएल) को ऋण	0.00	2.71	टीएसपीएल के कर्मचारियों के बकाया वेतन/पारिश्रमिक, सांविधिक देयों के भुगतान और रिट याचिका 43802/2002 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के लिए व्यय में बढ़ोतरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
		6860.05.190.01.00.55 एनईपीए लिमिटेड को ऋण	0.00	29.93	एनईपीए लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतन/पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए व्यय में बढ़ोतरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
		6860.05.190.02.00.55 (एनपीपीसी) के लिए हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड को ऋण	0.00	3.71	एचपीसी लिमिटेड की सहायक एनपीसीसी लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतन/पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए व्यय में बढ़ोतरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।
		6860.60.216.01.00.55 हिंदुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड को ऋण	0.00	8.29	एचपीएफ लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया वेतन/पारिश्रमिक और सांविधिक देयों के भुगतान के लिए व्यय में बढ़ोतरी करने के लिए ऋण और अग्रिम।

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
4.	Department of Heavy Industry	2852.08.215.10.00.31 Grants to Hindustan Paper Corporation Ltd. (Cachar paper Mills)	0.00	47.23	Grants to meet the 90% transportation cost of gauge conversion, mitigating the hardships in transporting the raw materials as well as finished goods to and from CPM.
		4860.05.190.02.00.54 Investment in NEPA Ltd.	0.00	8.10	Investment to meet expenditure towards Gol equity for part implementation of RMDP in NEPA Ltd.
		6858.60.190.09.00.55 Loans to Hindustan Cables Ltd. (HCL)	0.00	47.37	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HCL.
		6858.60.190.19.00.55 Loans to Hindustan Machine Tools Ltd. (HMT)	0.00	67.51	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HMT.
		6858.60.190.24.00.55 Loans to Triveni Structurals Ltd. (TSL)	0.00	1.53	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of TSL.
		6858.60.190.25.00.55 Loans to Thungbhadra Steel Products Ltd. (TSPL)	0.00	2.71	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of TSPL and for the compliance of judgment of High Court of Karnataka in WP 43802/2002.
		6860.05.190.01.00.55 Loans to NEPA Ltd.	0.00	29.93	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of NEPA Ltd.
		6860.05.190.02.00.55 Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd. for (NPPC)	0.00	3.71	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of NPPC Ltd. subsidiary of HPC Ltd.
		6860.60.216.01.00.55 Loans to Hindustan Photo Films Ltd.	0.00	8.29	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HPF Ltd.

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
5.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	2202-सामान्य शिक्षा (मुख्य शीर्ष) 02-माध्यमिक शिक्षा (उप-मुख्य शीर्ष) 110-गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता (लघु शीर्ष) को सहायता 01-केन्द्रीय विद्यालय संगठन (उप-शीर्ष) 01.00.36-सहायता अनुदान वेतन	1850.82	154.29	विशिष्ट मामले के रूप में, केवीएस की वेतन संबंधी देनदारी को पूरा करने के लिए जिसे ब.अ.-योजना 2013-14 के तहत उपलब्ध बचत से पूरा किया गया था।

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
5.	Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy	2202-General Education (Major Head) 02-Secondary Education (Sub Major Head) 110-Assistance to Non-Govt. Secondary Schools (Minor Head) 01-Kendriya Vidyalay Sangathan (Sub-Head) 01.00.36-Grants-in-aid Salaries	1850.82	154.29	For meeting the Salary liability of KVS which was from the Savings available under the BE-Plan 2013- 14 as an exceptional case.